बाढ़ से प्रभावित ग्रामों का विवरण एवं उनमें नियुक्त कर्मचारियों का विवरण तहसील–इटवा, सिद्धार्थनगर

क्र0 सं0	नदी/नाले का नाम	प्रभावित होने वाले ग्रामों का नाम	कुल क्षेत्रफल	कृ ा क्षेत्रफल	जनसंख्या	बाढ़ चौकी का नाम	बाढ़ शारणालय का नाम	राहत एवं बचाव हेतु नियुक्त कर्मचारियों का पद नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राप्ती नदी	बिजौरा	55	46	1695	बिजौरा	पेडारी	श्री कमलेश प्रसाद मिश्र ले0
		बेलवा	153	98	480	,,	,,	,,
		मोहम्मद पुर	135	121	816	,,	,,	,,
		वौना जोत	140	103	804	,,	,,	,,
		सिंगार जोत मुस्तहकम	166	120	2115	,,	,,	श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र ले0
		सफीपुर	339	282	570	,,	,,	,,
		सिकन्दरपुर	57	37	276	,,	,,	श्री अरूण प्रकाश श्री0 ले0
		दखिनहवा	139	113	508	,,	,,	,,
		शीतलभीटा	82	52	310	,,	,,	,,
		नावडीह	358	260	2150	,,	,,	श्री कृष्ण मुरारी लाल प्रभारी
		गंगापुर	210	160	1060	,,	,,	श्री तीरथ राज मिश्र ले0
		गुलरिहा	53	44	290	,,	,,	,,
		मनिकौरा	88	68	582	,,	,,	,,
		परसौहिया तिवारी	102	82	690	,,	,,	,,
		कुर्थीडीहा	75	52	485	,,	,,	श्री अरूण प्रकाश श्री0 ले0
		इजरहवा	117	95	548	,,	,,	श्री अब्दुल अजीज ले0
		रोहाव खुर्द	163	123	736	,,	,,	,,
		पटखौली	93	72	1228	,,	,,	,,
		रतनपुर	85	68	432	,,	,,	,,
		कोदईजोत	43	25	274	,,	,,	,,
		भैसी	101	83	274	,,	,,	श्री सूर्य देव मिश्र ले0
2.	नदी बूढी राप्ती	इमिलिया	217	185	1162	कोहडौरा मझौवा	,,	श्री अब्दुल अजीज ले0
		परसोहन	249	207	470	,,	,,	,,
		लमुइया	197	174	950	,,	,,	श्री हरिकीर्तन तिवारी ले0
		वसन्तपुर	197	169	712	,,	,,	,,
		छगडिहवा	265	225	1446	,,	,,	श्री इन्द्रमणि तिवारी ले0
		खरिकवा	90	72	597	,,	,,	,,
		बुड्डी खास	443	383	3092	,,	,,	श्री अकबर अली ले0
		रमवापुर	87	71	129	,,	,,	श्री हरेन्द्र बहादुर लाल ले0
		भदाव	26	19	132	,,	,,	,,
		मुडिला मिश्र	218	171	563	,,	,,	,,
		सिकरा बुजुर्ग	106	84	255	,,	,,	श्री अरूण प्रकाश प्रभारी ले0
		गदाखौवा	195	158	1842	,,	,,	,,
		सेमरा	27	17	186	,,	,,	,,
		संग्रामपुर	140	114	571	,,	,,	,,
		देवीपुर	126	95	538	,,	,,	श्री अयोध्या सिंह मिश्र ले0
		डेंगहर	115	90	346	,,	,,	,,

		दलपतपुर	26	18	247	,,	,,	,,
					(46)			
		देवथरी	62	48	290	,,	,,	श्री हरेन्द्र बहादुर लाल ले0
		गौरा बडहरी	296	257	1687	,,	,,	,,
		बडहरा विशुनपुर	173	141	1456	,,	,,	श्री श्रीराम वर्मा प्रभारी ले0
		पोखरभिटवा	179	171	1326	,,	,,	श्री सूर्य देवमिश्र लेखपाल
		पकडी	105	87	138	,,	,,	श्री अब्दुल अजीज लेखपाल
		बकैनिया	62	54	138	,,	,,	,,
		कोहडौरा मझौवा	121	85	280	,,	,,	श्री हरेन्द्र बहादुर ले0
		कठवतिया	141	105	366	,,	,,	,,
		पेडारी	102	67	656	,,	,,	श्री अब्दुल अजीज ले0
		हरिवन्धनपुर	86	69	849	,,	,,	श्री अशोक कुमार तिवारी ले.
		मुडिला चन्दनराम	62	54	411	,,	,,	श्री अब्दुल अजीज ले0
		भलुहिया	89	69	467	,,	,,	श्री हरेन्द्र बहादुर लाल ले0
		खखरांव	126	94	472	,,	,,	श्री श्रीराम वर्मा ले0
		सोहना	310	257	963	,,	,,	श्री अब्दुल अजीज ले0
		फूलपुर राजा	220	168	1695	,,	,,	श्री अरू.ा प्रकाश ले0
		विस्कोहर	187	154	5363	,,	,,	श्री अयोध्याप्रसाद ले0
		पदमपुर	82	70	417	,,	,,	श्री हृदयराम ले0
		परसा खुर्द	100	80	480	,,	,,	श्री जगदम्बा सोनी ले0
		दिवली	87	75	541	,,	,,	श्री जगप्रसाद ले0
		पतिला	138	112	1025	,,	,,	,,
		सहदेइया	86	75	326	,,	,,	श्री जगदम्बा सोनी ले0
		मुड़िलिया	220	179	327	जिगिनामाफी	पेडारी	श्री अशोक कुमार ले0
		बैरिहवा	168	139	418	,,	,,	,,
		हरीजोत	104	83	444	,,	,,	श्री हृदयराम ले0
		बकैनिया	62	54	137	,,	,,	श्री अब्दुल अजीज ले0
		बबुहरा	75	66	487	,,	,,	श्री अशोक कुमार ले0
		पोखरभिटवा	194	169	891	,,	,,	श्री राम बिहारी लाल ले0
		देवरिया	90	87	604	,,	,,	,,
		सिकरी	131	124	663	,,	,,	,,
		बेलहवा	75	56	1295	,,	,,	,,
		पाली	157	124	283	,,	,,	श्री नेबूलाल ले0
		जिगिना माफी	131	101	636	,,	,,	,,
		परसा बुजुर्ग	153	129	799	,,	,,	श्री बच्चाराम गुप्ता ले0
		सकटपुर	136	117	965	,,	,,	श्री हृदय राम ले0
		मूसा	323	283	2332	,,	,,	श्री जगदम्बा सोनी ले0
		भुसैलवा	39	31	137	,,	,,	श्री अशोक कुमार तिवारी
		जनिकौरा	77	64	966	,,	,,	,,
		मुड़िला बक्शी	63	54	413	,,	,,	,,
		खिरहिटिया	36	25	133	,,	,,	,,
	नाला परासी	जिगिना शुक्ल	99	64	567	महादेव घुरहू	प्रा0पा0महदेवा	श्री त्रिलोकी प्रसाद ले0
	नाला सिकरी	सोनवरसा	56	43	182	,,	,,	श्री चन्द्रिका प्रसाद ले0
		बंगरी	115	88	382	,,	,,	श्री जगदम्बा सोनी ले0
		मदवा	86	68	439	,,	,,	श्री गुलाम मो0 ले0

		विशुनपुर चौवे	145	87	408	,,	,,	श्री जगदम्बा सोनी ले0
					(47)			
		प्रतातपुर	105	80	597	,,	,,	श्री गुलाम मो0 ले0
		मल्हवार बुजुर्ग	88	80	533	,,	,,	श्री जगदम्बा ले0
		गोविन्दपुर	152	127	53	,,	,,	श्री चन्द्रिका प्रसाद ले0
		खुखड़ी	175	150	1313	,,	,,	श्री विनय कुमार ले0
		सरपोका	66	53	934	,,	,,	श्री चन्द्रिका प्रसाद ले0
		पिपरी महरी	43	30	435	,,	,,	श्री जग प्रसाद ले0
		महादेव घुरहू	183	166	1023	,,	,,	श्री जगदम्बा सोनी ले0
		सेमरी	112	97	563	,,	,,	,,
	नाला अकडारी	बलुआ	73	66	175	महदेवा घुरहू	,,	श्री विनय कुमार ले0
		सैनी	69	41	381	,,	,,	श्री जगदम्बा सोनी ले0
		पकडी शुक्ल	120	94	594	,,	,,	श्री राम बिहारी लाल ले0
		डबरा	183	156	691	,,	,,	,,
		त्रिलोकपुर	107	71	533	इटवा	,,	श्री त्रिलोकी प्रसाद मिश्र ले0
		चरखवा	44	33	205	,,	,,	,,
		सुहेलवा	114	74	901	,,	,,	,,
		पिपरी लगडी	93	71	376	,,	,,	,,
		इटवा बक्सी	10	76	1071	,,	,,	,,
		मुडिला शिवदत्त	195	155	694	,,	,,	श्री अशोक कुमार ले0
		मरवटिया	58	38	228	,,	,,	श्री अशोक कुमार ले0
		बरगदवा	230	152	1120	,,	,,	श्री अशोक कुमार ले0
		महादेव	70	58	249	,,	,,	श्री रंगीलाल श्री0
		अगया	69	56	370	,,	,,	,,
		रमवापुर उर्फ विशुनपुर	135	97	1188	,,	,,	श्री गंगोत्री प्रसाद ले0
		परसिमा	98	72	654	,,	,,	श्री नोहर राम ले0
		माधवपुर उर्फ चन्दनजोत	115	85	472	,,	,,	,,
	नाला सिकरी व नदी बूढी राप्ती	पटना	237	195	1496	संग्रामपुर	प्रा0पा0संग्रामपुर	श्री जगदीश कुंवर यादव ले0
		विशुनपुर खुर्द	79	59	419	,,	,,	,,
		चौखडिया	219	183	1038	,,	,,	,,
		संग्रामपुर	195	170	676	,,	,,	श्री जयराम वर्मा ले0
		नरायनपुर	188	147	194	,,	,,	श्री बच्चाराम ले0
		सेमरी	91	66	1853	,,	,,	श्री जगराम वर्मा ले0
		पिपरी	106	73	512	,,	,,	,,
		गौरा	99	56	471	,,	,,	,,
		कपिया	144	124	863	,,	,,	,,
		मगुआ	167	158	525	,,	,,	श्री जोखूराम प्रभारी ले0
		भगौसा	114	74	538	,,	,,	,,
		केवटली	90	72	785	,,	,,	,,
		रानीजोत	116	91	1079	,,	,,	,,
		पकरैला	76	68	554	,,	,,	,,
		बेलघटिया	53	41	401	,,	,,	,,
	नाला सिकरी व बूढी राप्ती	विरवापुर	169	104	984	संग्रामपुर	,,	श्री जोखूराम ले0
		सुहिया	58	48	110	,,	,,	,,
		मेहदानी	329	288	2353	,,	,,	श्री जगराम वर्मा

								प्रभारी
		बहुती	180	150	790	,,	,,	,,
		सिसवा बुजुर्ग	367	293	524	,,	,,	श्री जोखूराम प्रभारी ले0
		सलवन जोत	88	73	305	,,	,,	,,
		सेमरा	56	47	1041	,,	,,	,,
		कम्हरिया	133	127	1348	,,	,,	,,
		झकहिया	220	182	2211	,,	,,	श्री राम बिहारी लाल ले0
		भेलौहा	145	131	155	,,	,,	,,
		पचपेड़वा	186	160	1737	,,	,,	,,
		मुडिला	93	85	334	,,	,,	,,
		पचमोहनी	129	107	422	,,	,,	,,
		केसार	90	81	815	,,	,,	,,
		विशुनपुर कला	54	38	665	,,	,,	,,
		रेहरा कला	25	18	291	,,	,,	श्री राम बहादुर यादव ले0
		बैरिहवा	119	108	389	,,	,,	,,
		रसूलपुर	153	124	517	,,	,,	,,
		नकटदेवा ताल	125	101	6	,,	,,	श्री राम बिहारी लाल ले0
		सिसवा	196	182	924	,,	,,	,,
		रेहरा खुर्द	26	19	209	,,	,,	,,
		बैरिया खालसा	367	305	429	,,	,,	श्री रामपति तिवारी ले0
		खखरा	95	82	512	,,	,,	,,
		चेचराफ खुर्द	32	27	314	,,	,,	,,
		भैसाही जंगल	151	136	349	,,	,,	,,
		चेचराफ बुजुर्ग	188	139	1670	,,	,,	,,
		बन्दुआरी	95	87	790	,,	,,	श्री ध्रुव नरायन ले0
		बेलवनवा	77	68	487	,,	,,	,,
		कमसई	97	87	160	,,	,,	,,
		गुरौवाजोत खालसा	36	27	176	,,	,,	श्री रमापति तिवारी ले0
		सौरहवा ग्राण्ट	203	167	1190	,,	,,	,,
	नाला सिकरी नदी व बूढी राप्ती	भोजवारी ग्राण्ट	96	87	524	कठेला बाजार	,,	,,
		भोजवारी खालसा	29	23	149	,,	,,	,,
		कठेला ार्की	464	413	6302	,,	,,	,,
		,,	306	291	4945	,,	,,	,,
		परसा	144	129	1616	,,	,,	श्री राम बहादुर यादव ले0
		देवराइचपार	191	172	335	,,	,,	,,
		बैरिया ग्राण्ट	16	10	86	,,	,,	श्री रामपति तिवारी ले0
		मदरहवा	126	103	866	कठेला कोठी	,,	श्रीउमेश चन्द्र पाठक ले0
		तेनुआ	157	139	0960	,,	,,	,,
		बजरा भारी	413	357	1969	,,	,,	,,
		औरहवा	333	268	2223	,,	,,	,,
		नवेल	199	172	1810	,,	,,	श्री जगदीश कुंवर ले0

		कठेला जनूबी	523	410	4803 (49)	,,	,,	श्री उमेश चन्द्र पाठक ले0
		भोजवार	91	82	465	,,	,,	,,
		धोबहा	751	683	5870	,,	,,	श्री धर्मपाल ले0
		मोनिहवा	186	150	1183	,,	,,	श्री मिठाई लाल ले0
		गौरडीह	496	417	5181	,,	,,	श्री जगदीश कुंवर ले0
		जमला जोत	50	41	151	धनगढवा	पू0मा0वि0धनगढ़वो	श्री मिठाई लाल ले0
	नाला परासी	कोल्हुई	113	100	975	,,	,,	श्री धर्मात्मा मिश्र ले0
		वारिकपार	169	132	1477	,,	,,	श्रीवंशीधर चौधरी ले0
	बूढी राप्ती	मधवापुरखुर्द	50	38	1017	,,	,,	श्री परमात्मा प्रसाद चौ0ले0
		मधवापुर कला	187	159	2476	,,	,,	,,
		होरिलापुर	126	101	930	,,	,,	,,
		मिश्रौलिया	115	97	509	,,	,,	,,
		महुई	51	39	548	,,	,,	श्री मिठाई लाल ले0
		विडरा	56	47	324	,,	,,	,,
		रतनपुर	88	79	728	,,	,,	,,
		रायपुर	19	12	99	,,	,,	,,
		सोनौलीनानकार	187	162	2421	,,	,,	श्री परमात्मा प्रसाद चौ0ले0
	नाला परासी	भलुही	75	67	215	,,	,,	श्री जयशंकर उपा0 ले0
		कनकटी	134	102	1337	,,	,,	,,
		जोकइयो	102	90	909	,,	,,	,,
	नाला परासी	गैसडा	79	65	497	धनगढवा	,,	,,
		मनकर	67	56	671	,,	,,	श्री धर्मात्मा प्रसाद मिश्र
		कनरी	59	48	336	,,	,,	,,
		अगया	63	57	479	,,	,,	,,
		हरैया	124	102	661	,,	,,	,,
		नागचौरी	455	371	3193	,,	,,	श्री परमेश्वर प्रभारी ले0
	नाला सिकरी	उडवलिया	225	180	1427	,,	,,	श्री सुनील कुमार ले0
		गोनरा	162	141	1023	,,	,,	,,
	परासी व सिकरी	मिश्रौलिया खालसा	222	185	1716	बेलवा	पू0मा0वि0बेलवा	श्री रामनेवास ले0
		चूही ग्राण्ट	171	150	983	,,	,,	श्री धर्मपाल ले0
		इन्द्रीग्राण्ट	433	340	2260	,,	,,	,,

	नाला परासी	मधुबेनिया	114	97	649	,,	,,	श्री परमेश्वर ले0
		कैथवलिया	61	42	400	,,	,,	,,
		डुगउुइया	48	39	204	,,	,,	,,
		भरमर साथा	132	101	503	,,	,,	श्री धर्मात्म प्रसाद ले0
		सेमरा	164	142	987	,,	,,	,,
		खैराखास	216	185	1059	,,	,,	श्री रामनेवास ले0
		बनकटा	173	140	950	,,	,,	,,
	नाला सिकरी	करौदा खालसा	243	192	1727	,,	,,	श्री परमेश्वर ले0
		बगुलहवा ग्राण्ट	67	51	1432	,,	,,	श्री जयशंकर उपा0 ले0
	नाला परासी	ओझा जोत	44	32	175	बरगदवा	पू0मा0वि0 बरगदवा	श्री मोहम्मद अली ले0
		महुआ	121	102	727	,,	,,	,,
		तेलियाडीह	182	160	1706	,,	,,	,,
	नाला अकडारी	बरगदवा	232	197	1724	,,	,,	श्री रामकेश यादव ले0
		अहिरौली	62	51	459	,,	,,	श्री नोहर राम ले0
		सन्दल जोत	177	162	1128	,,	,,	,,
		दुबायल तिवारी	90	81	809	,,	,,	,,
		खखरा खखरी	246	190	1736	,,	,,	श्री राम केशर यादव ले0
		ानिचरा	180	162	1017	,,	,,	,,
		भिटिया	87	73	329	,,	,,	श्री सुनील कुमार आजाद
		कम्हरिया	98	83	1312	,,	,,	,,
		मचुकी	80	71	591	,,	,,	श्री राम केशर यादव ले0
	राप्ती नदी	पल्टी	16	12	237	बल्लीजोत	,,	श्री सुनील कुमार ले0
		पल्टा	74	65	475	,,	,,	,,
		गोरापचगौती	20	14	262	,,	,,	,,
		सेहरी	90	79	315	,,	,,	,,
		परसपुर	35	28	323	,,	,,	,,
		चेरा जोत	28	22	235	,,	,,	,,
		बिडरा	52	40	437	,,	,,	,,
		रमवापुर मिश्र	38	31	332	,,	,,	श्री मोहम्मद अली ले0
		मिर्जापुर उर्फ गोरा	67	52	336	,,	,,	,,
		तिघरा	97	84	1140	पचमोहनी	पू0मा0वि0 पचमोहनी	श्री अशोक कुमार ले0
		मनखोरिया कोट	968	57	302	,,	,,	,,
		बनगवा	43	34	190	,,	,,	,,
		उडवा	166	140	953	,,	,,	,,
		दुवायलपाण्डेय	62	51	520	,,	,,	,,
		महुआ पाइक नानकार	110	92	570	,,	,,	,,
		पेंदानानकार	107	82	581	,,	,,	श्री राम दासले0

		दुफेडिया	114	91	524	,,	,,	श्री सुनील कुमार ले0
					(51)			
		एकडेगवा	71	54	515	,,	,,	,,
		मुस्तहकम						
		खुरहुरबन्दी	77	68	346	,,	,,	श्री रामदास ले0
		गौल्हौरा	30	22	206	,,	,,	श्री अशोक कुमार ले0
		नरायनपुर	39	31	220	,,	,,	,,
		मटेसर नानकार	96	82	1179	,,	,,	,,
		तिघरी राय	46	37	451	,,	,,	,,
		रजवा पुर	115	92	253	,,	,,	,,
		कंकाली						
		पचमोहनी	86	72	280	,,	,,	,,
		देवभरिया	79	61	652	,,	,,	श्री राम दास ले0

तहसीलदार
इटवा

बाढ़ से प्रभावित ग्रामों का विवरण एवं उनमें नियुक्त कर्मचारियों का विवरण तहसील–शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर

क्र0 सं0	नदी/नाले का नाम	प्रभावित होने वाले ग्रामों का नाम	कुल क्षेत्रफल	कृषि क्षेत्रफल	जनसंख्या	बाढ़ चौकी का नाम	बाढ़ शारणालय का नाम	राहत एवं बचाव हेतु नियुक्त कर्मचारियों का पद नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बूढी राप्ती	देवरिहया	65.033	42.853	568			ले0ह0नं0 73,75,74, 71,72,70
		भपसी	142.085	110.712	1053			
		मुरगहवा	48.013	36.325	576			
		खेतवल मिश्र	210.083	182.705	1108			
		कुसमहर	70.041	56.314	565			
		नगपरी	129.809	103.714	512			
		नगपरा	125.004	107.006	1141			
		सिरसियाराजा	117.097	98.013	1051			
		खिरकिया	65.96	49.735	609			
		बैरिहवा	92.048	71.702	647			
		भैसहवा	213.027	991.327	1364			
		नौतलासरपतहा	117.036	95.041	661			
		बैजनथा	303.001	241.235	1672			
		महरथा	64.034	52.103	931			
		लमती	102.079	86.750	1639			
		छपियागगवा	57.008	42.310	563			
		डबरा	128.028	101.234	1007			
		सेखुइंया	70.001	54.380	567			
		बनगवा	108.045	86.705	965			
		गायघाट	337.051	298.392	742			
		कुलगवापुर	28.073	19.350	573			
2.	बानगंगा	रामापुर	84.584	65.675	504		पकडी	ले0ह0नं0–31,73,72, 66,71
		अमहवा	246.461	218.135	1021			
		बरैनिया	167.013	148.360	1021			
3.	बूढी राप्ती	नकाही	119.078	92.325	1017			
		भटमला	25.809	18.976	534			
		जोगीवारी	56.025	47.324	560			
		भटपुरवा	121.070	101.736	1109			
		महला	142.851	12.235	1095			
		नदवलिया	184.132	152.375	1205			
		बैदौली	133.580	102.325	1005			
		एकडेगाभावपुर	166.073	142.070				
		कोटिया मिश्र	35.018	28.364	578			
		जखवलिया	182.091	163.735	1003			
		सबुई	75.027	62.027	557			
		सबुआ	55.803	38.725	558			
		कोयलीघाट	90.076	72.368	556			
		लखनपारा	168.037	144.079	1002			
		जम्हिरिया	420.086	390.235	1047			
		लमती	102.079	86.705	575			
4.	बानगंगा	करौदा	109.067	88.273	560			
5.	बूढी राप्ती	तौलिहवा	411.560	385.175	2939			29ए70ए29ए30ए11
		महदेइया	160.430	138.076	680			
		राजा कोहा उर्फ प्रतापपुर	172.310	151.726	640			
		कोटियादीगर	110.075	85.726	610			
		पथरदेइया	190.60	168.235	856			
		रामनगर	196.274	172.015	945			

6.	सोतवा नाला	गनेशपुर	109.067	86.307	560			29.37.26.36.27.28
		हलौरा जगहिहवा	167.013	135.090	675			
		परसा	84.098	52.076	580			
		पडरिया	121.070	98.325	620			
7.	बानगंगा	खडकुइया ना0	117.036	82.076	615			
		चम्पापुर	125.004	101.086	830			
		गोल्हौरा ए0	210.043	185.715	790			
8.	सोतवा नाला	रोमनदेई	117.06	97.025	1039			
		खैरा	142.851	121.027	1132			
		गुजरौलिया ग्रान्ट कपिया खालसा	55.003	44.075	480			58
9.	जमुआर	गुजरौलिया खालसा	79.027	60.105	530			58ए68
10.	पुरानी बानगंगा	एकडवाभावपुर	113.312	92.713	735			68
		संकेरात	190.609	162.032	1090			2
		ढेकहरी खुर्द	115.203	98.035	810			10
		ढेकहरी बु0						1
		खजुरियाशर्की	196.274	162.725	1060			4
11.	चरगवा नाला	कल्यानगर उर्फ हृदयनाथ	118.574	96.325	730			
		खुरपुरिया	373.12	352.015	1420			
		करूआ	36.017	28.078	280			
		सेनसरी	162.311	141.015	630			
		सेमरा	44.0378	36.937	1480			
		महदेवा खुर्द	253.766	238.108	1182			
12.	बूढी राप्ती	पकडिहवा	148.840	126.079	632			
		रेकहटा	68.729	49.235	840			
13.	चरगहवा नाला	मिश्रौलिया	103.729	82.087	890			
14.	बूढी राप्ती	खैरी शीतला प्रसाद सेमरा	302.104	281.075				
		टीकर	267.500	252.125	990			
		सेमरी खुर्द गुजर	191.418	178.735	1020			
		तालकु.डा	57.880	238.325	520			
		बसावन पार उर्फ सहिनवार	182.111	151.007	815			
		अहिरौला मनिकौरा	262.211	244.025	1260			
		मोहनकोली	244.632	226.000	1180			
		गडरखा	168.153	139.075	830			
15.	बूढी राप्ती	मटिया उर्फ भुतहवा	403.881	382.020	2416			
		पचउथ	191.481	72.008	1115			
16.	घोरहिया नाला	टीसम	145.283	132.882	567			
		बरगदवा	140.022	121.075	1104			
		पिपरा	144.052	130.025	818			

		बगही	119.789	98.235	806			
		जिगनिहवा	109.266	82.75	1384			
		मोहनकोला	350.360	322.071	1880			
17.	सोतवा नाला	सहिनवार	74.463	58.735	790			
		बोहली	311.206	280.025	1594			
		खरिकौरा	166.542	142.735	1012			
		पैकी	123.440	101.709	587			
		अमिलियाशमी ली	121.496	98.211				
		अखरेइया	57.800	46.203				
		अकरहवा	272.851	244.075	1845			
		सेमरा	108.661	86.303	997			
		जमधरा	91.001	78.009	889			
		परसाहिया	135.166	112.732	1082			
		मडनी	191.214	172.113	1174			
		जियाभारी	122.216	100.203	985			
		बेलभरिया	84.713	68.074				
		धनौरा मतुह0	203.764	180.065	1637			
		भेलौजी	72.844	60.014				
18.	बानगंगा	बसहिया	525.250	302.135				
		जीवकुण्डा	121.929	102.075	1688			
		लोहटी	166.359	142.366	1245			
19.	सोतवा नाला	बनचौरी	168.553	167.995	849			
		चरिगवा			1183			
20.	बूढी राप्ती	खैरी उर्फ झुगहवा	432.210	386.235	1285			
21.	घोरहिया नाला	बसन्तपुर	242.005	222.087	1605			
		बेनीनगर केसर	144.632	121.235				
		बगुलहवा	107.708	89.063	1894			
22.	बानगंगा	मदरहिया उर्फ रामनगर	182.110	152.110	907			
		मदरहना खास	230.102	211.630				
		पिपरी	148.203	122.102				
		मस्जिदिया	103.102	92.743				
		महमुदवा ग्राण्ट	280.332	276.023	2010			
		अतरी	78.403	58.064	1105			
		खरगवार	102.204	158.325	1125			
		गजहडा	204.490	188.075				
23.	बानगंगा	लेदवा	101.204	82.075				
		महथा	94.302	68.325				
		नीवी	145.300	122.152	892			
		सुअरहवा	103.506	88.075				
24.	पुरानी बानंगा	सिरसिया	106.062	89.235	516			
		परसोहिया	113.015	90.075	630			
		एकडगा भानपुर खालसा ग्राण्ट	166.073	132.235	746			
		बुकनिहा खालसा	112.330	88.731	702			

		मदरहना	164.200	142.023	590			
1	बूढी राप्ती	राजकोहा उर्फ प्रतापुर	172.398	143.123		पकडी		
2	सोतवा नाला	तौलिहवा	411.565	365.369	1938			
3	बूढी राप्ती	पडरिया	184.799	153.067	802			
4	बानगंगा	बैरिहवा	95.055	71.179	485			
5	,,	नौतला सरपतहा	117.036	95.175	355			
6	बूढी राप्ती	बैजनथा आ0	303.001	280.125	905			
7	,,	महरथ आ0	64.035	42.714	1125			
8	,,	मुर्गहवा	08.015	36.113	1254			
9	,,	तालकुण्डा	762.431	694.125	1993			
10	,,	खौरी शीतल प्रसाद	373.124	302.734	1751			
11	,,	मटियार उर्फ भुतहवा	403.881	386.075	2416	ढेबरूआ		
12	,,	खैरी उर्फ झुगहवा	602.174	583.175	2285			
13	,,	रेकहट	175.231	148.918	1744			
14	,,	पकडिहवा	402.662	351.763	1707			
15	,,	गडरखा	267.500	245.735	623			
16	सोतवा नाला	उतरोला	110.285	96.114	522			
17	,,	अर्री	144.879	112.731	967	सिरसिया		
18	,,	बोहली	311.206	282.221	1594			
19	,,	आखेरेइया	57.810	40.125	1594			
20	,,	सहिनवार	74.463	46.075	790			
21	,,	इमिलिया सुमाली	121.496	96.34	727			
22	बूढी राप्ती	मोहनकोली	148.521	112.263	552			
23	,,	दउरवा	764.001	42.045	625	पकडी		
24	सोतवा नाला	खैरा	324.371	280.725	1126	सिरसिया		
25	,,	रोमनदेई	314.039	282.117	2770			
26	,,	चम्मापुर	110.075	88.302	1592			
27	बानगंगा	ठुसुरी	93.888	65.115				
28	सोतवा नाला	सिसवा बुजुर्ग	180.491	145.232	1365			
29	,,	परसा	130.043	132.725	1228			
30	,,	गनेशपुर	225.817	191.213	1611			
31	,,	हलौरा	97.721	72.753	818			
32		अमहवा	246.260	192.314	815			
33		रामापुर	84.580	52.517	185			
34		नदवलिया	184.134	146.233	1585	पकडी		
35		लौसा	88.334	66.137	715			
36	बूढी राप्ती		90.609	71.735	1363	ढेबरूआ		
37	,,		276.493	238.582	315			
38	,,		36.017	24.715	425			
39	,,		253.766	216.302	1156			
40	धोरही ना0		145.283	124.906	867			
41	,,		246.052	212.714	1078			
42	चरगहवा नाला		129.206	98.375	951			

43	,,		123.025	101.125	1290			
44	,,		108.861	62.463	625			
45	,,		85.102	63.703	750			
46	बूढी राप्ती		129.002	49.736	505			
47	,,		142.004	114.235	2320			
48	,,		88.061	65.614	630			
49	,,		260.030	19.203	5785			
50	पुरानी बानगंगा		210.084	185.724	1602			
51	,,		213.027	189.203	1280			
52	,,		12.089	99.732	810			
53	,,		105.075	86.124	630			
54	,,		85.04	58.613	1085			
55	,,		125.004	188.075	1185			
56	बानगंगा		110.075	88.790	710			
57	सोतवा		166.732	141.325	1230			
58	,,		140.022	116.114	718			
59	बानगंगा		133.054	105.702	879			
60	बूढी राप्ती		28.013	19.236	470	कुलगवा पुर		
61	,,		208.00	185.173	1220	सिसवा		
62	बूढी राप्ती		136.044	102.124	815	रामनगर		

तहसीलदार
शोहरतगढ़

5.7 जनपद में तटबंधों का विवरणः–

क्र0 सं0	बांध का नाम	कुल लम्बाई	नदी का तट	लाभान्वित क्षेत्रफल			अभ्युक्ति
				कृ ा योग्य भूमि	ग्राम	जनसंख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कूडा घोघी नदी	47.500	कूड़ा बाया/ घोघी दायों	6000 हे0	15 ग्राम	20000	
2	चैनपुर बांध	3.600	तेलार नाला/बाया तट	8000 हे0	01 ग्राम	800	
3	नौगढ बांध	2.00	जमुआर नाला/दायां	25 हे0	01 ग्राम	5,000	
4	मोहम्मद नगर बांध	3.200	बांधा नाला/दायं	750 हे0	02 ग्राम	1,000	
5	चित्तापुर बांध	7.00	कूड़ा नदी/दायां	500 हे0	06 ग्राम	9000	
6	लोटनरसियावल बांध	12.50	घोघी नदी/दायां	(निर्मा.ाधीन)	भारत नेपाल विवाद में कार्य बन्द है।		
7	गोर्वधनपुर बांध	10.500	कूड़ा नदी/दायां	1400 हे0	15 ग्राम	16,000	
8	उसकामहदेवा बांध	1.800	कूड़ा नदी/दायां	300 हे0	03 ग्राम	4500	
9	उसका बेलसर बांध	3.300	कूड़ा /बूढ़ी राप्ती/दायां	722 हे0	09 ग्राम	9100	
10	उसका लखनापार बांध	10.500	कूड़ा/बूढ़ी राप्ती/दायां बायां	1100 हे0	11 ग्राम	12000	
11	लखनापार बांध	40.900	बानगंगा/नदी दायां	13226 हे0	105 ग्राम	2,95,000	
12	नदवलिया बांध	1.800	बानगंगा दायां	400 हे0	01 ग्राम	4200	
13	दाया एक्लक्स बानगंगा	4.20	बानगंगा नदी/दायां	20000 हे0	08 ग्राम	5,000	
14	बाया एक्लक्स बानगंगा	5.00	बानगंगा नदी/दायां	25000 हे0	10 ग्राम	10000	
15	गाइड बांध बानगंगा	1.600	बानगंगा नदी के डाउन स्ट्रीम के बांया तट	25000 हे0	02 ग्राम	2,000	

ड्रेनेज खण्ड–सिद्धार्थनगर निर्मित बांधों का विवरण

क्र0 सं0	बांध का नाम	संवेदनशील स्थल	अतिसंवेदनशील स्थल	अभ्युक्ति
1	गोवर्धनपुर बांध	रोहूडीला कटना किमी0 4.500 से 5.000	–	–
2	उसका बेलसर बांध	उस्की कटान स्थल किमी 0.200 से 0.400तक नौखनिया कटान स्थल किमी0 1.75 से 2.300 तक	–	–
3	उसका लखनापार बांध	छितरापार कटान स्थल किमी0 8.800 से 9.000तक	–	–
4	नन्दवलिया बांध	नन्दवलिया कटान स्थल किमी0 0.900 से 1.4000 तक		
5	लखनापार बैदौला बांध	परसोहिया कटान स्थल किमी0 24.300 से 24.600	अतरी कटान स्थल किमी0 36.500 से 37.100 तक	
6	कूडा घोघी बांध		किमी0 16.200, 20.00 से 32.00 एवं किमी0 34.000 से 35.000तक	
7	चैनपुर बांध	0.800 से 3.000 किमी0		
8	नौगढ़ बांध			
9	मोहम्मदनगर बांध	किमी0 0.500से 2.000किमी		
10	चित्तरापुर बांध		किमी0 3.000 से किमी0 5.000तक	
11	बानगंगा दाया एक्सलक्स बांध	3.600 से 4.000 किमी0	बानगंगा दाया	इस रीच में बोल्डर के 5 अदद डैम्पनर निर्मित है फिर भी काफी मोड होने के कारण कटाव होता है।
12	बानगंगा बाया एक्सलक्स बांध	किमी0 3.700 से 4.100	बानगंगा नदी बाया	इस रीच में बोल्डर के 3अदद डैम्पनर बनाये गये है परन्तु नदी से सीधे टकराने के कारण कटाव होता है।

सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थनगर

निर्मित एवं निर्माणाधीन तटबन्धों की सूची

क्र0सं0	तटबन्ध का नाम	नदी / किनारा	लम्बाई (किमी0 में)	लाभान्वित क्षेत्रफल (हे0 में)
1.	नरकटहा–शहर सुरक्षा बॉध	राप्ती / बॉयी	1.000	ाहर सुरक्षा
2.	नरकटहा–सोनखर बॉध	राप्ती / बॉयी	2.800	225
3.	सोनखर–टेड़िया बॉध	राप्ती / बॉयी	5.600	5000
4.	भवारी–गायघाट–अजगरा बॉध	राप्ती / बॉयी	14.600	2650
5.	मदरहवा–अशोगवा बॉध	बूढ़ी राप्ती / दायॉ	15.900	5700
6.	अशोगवा–नगवा बॉध	बूढ़ी राप्ती / दायॉ	12.800	4000
7.	सूपा–एडवांस बॉध	बूढ़ी राप्ती / दायॉ	3.000	265
8.	ककरही–गोनहा बॉध	बूढ़ी राप्ती / दायॉ	10.700	1995
9.	फत्तेपुर–खजूरडाड़–अजगरा बॉध (निर्माणाधीन)	बूढ़ी राप्ती / दायॉ	10.000	895
10.	बैदौला–भड़रिया बॉध	राप्ती / दायॉ	10.600	5000
11.	बॉसी–डुमरियागंज बॉध (निर्माणाधीन)	राप्ती / दायॉ	39.500	9016
12.	बॉसी–बनकटा बॉध	राप्ती / दायॉ	12.000	1100
13.	दलपतपुर–परसोहन बॉध	बूढ़ी राप्ती / दायॉ	3.000	250
14.	परसोहन–मूसा बॉध	बूढ़ी राप्ती / दायॉ	7.000	500
15.	सोनखर–हयातनगर बॉध	राप्ती / दायॉ	6.750	1015
16.	गौरा–धोबहा बॉध	राप्ती / दायॉ	1.800	225
17.	डुमरियागंज–बॉधी बॉध	राप्ती / दायॉ	32.865	7800
18.	बॉसी–पनघटहिया बॉध	राप्ती / दायॉ	32.900	10000
19.	भगौतापुर–रिंग बॉध	राप्ती / दायॉ	1.195	2000
20.	कैथोलिया–रिटायरमेन्ट बॉध	राप्ती / दायॉ	5.000	4500
21.	छगड़िहवा–सोनबरसा बॉध (निर्माणाधीन)	बूढ़ी राप्ती / दायॉ	26.100	5286
22.	भोजपुर–शाहपुर बॉध (निर्माणाधीन)	राप्ती / दायॉ	40.800	8587

सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थनगर

अतिसंवेदनशील स्थलों की सूची

क्र0सं0	**बॉध का नाम**	**अतिसंवेदनशील रीच**	**नदी**	**स्थल का नाम**
1.	बॉसी–डुमरियागंज बॉध	गौरा बाजार मिर्जापुर ग्राम–अमहव एवं एकडेगवा की सुरक्षा	राप्ती	
2.	बॉसी–पनघटिया बॉध	किमी0 17.000 से 18.400 किमी0 20.400 से 24.400 किमी0 30.600 से 31.400	राप्ती	बंजरहा कडजा कैथवलिया
3.	डुमरियागंज–बॉसी बॉध	किमी0 16.000	राप्ती	बनकटा पाठक
4.	बैदौला–भड़रिया	किमी0 6.600 से 7.150	राप्ती	माली मैनहा
5.	मदरहवा–अशोगवा बॉध	किमी0 10.450 से 10.750	बूढ़ी राप्ती	सोनौली
6.	अशोगवा–नगवा बॉध	किमी0 8.000 से 8.200 किमी0 10.300 से 10.750	बूढ़ी राप्ती	सतवाड़ी टड़िया
7.	ककरही–गोनहा बॉध	किमी0 1.300 से 1.800 किमी0 3.500 से 3.900	बूढ़ी राप्ती	टोला नं0 1 (केवटलिया) गोनहा
8.	नरकटहा–शहर सुरक्षा बॉध	किमी0 0.100 से 0.240 किमी0 0.700 से 0.820	राप्ती	नरकटहा शहर
9.	नरकटहा–सोनखर बॉध	किमी0 1.500 से 1.650	राप्ती	नरकटहा
10.	सोनखर–टड़िया बॉध	किमी0 0.490 से 0.700 किमी0 3.200 से 4.100	राप्ती	सोनखर गुलरिहा राजा

11.	भवारी–गायघाट–अजगरा बॉध	किमी0 6.500 से 7.100 किमी0 9.900 से 10.000 किमी0 12.200 से 12.750 किमी0 12.900 से 13.040	राप्ती	हाटा रीवानानकार गायघाट गायघाट
12.	गौरा–धोबहा बॉध	किमी0 0.000 से 1.800	राप्ती	गौरा धोबहा मिर्जापुर
13.	बॉसी–डुमरियागंज बॉध	किमी0 18.500	राप्ती	मगरगाड़ा

सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थनगर

संवेदनशील स्थलों की सूची

क्र0सं0	बॉध का नाम	संवेदनशील रीच	नदी	स्थल का नाम
1.	बॉसी–पनघटिया बॉध	किमी0 3.800 से 4.150 किमी0 14.800 से 16.300 किमी0 17.650 से 17.750 किमी0 20.600 किमी0 22.400 से 24.400 किमी0 25.500 किमी0 30.00 से 31.700	राप्ती	गुलरिहा नया बंजरहा बंजरहा कुड़जा जरतहवा सुरही ताल कैथवलिया
2.	डुमरियागंज–बॉसी बॉध	किमी0 23.00	राप्ती	थुम्हवा बनकटा
3.	बॉसी–डुमरियागंज बॉध	किमी0 22.00 से 23.00	राप्ती	तिघरा
4.	मदरहवा–अशोगवा बॉध	किमी0 5.950 से 6.300	बूढ़ी राप्ती	बड़ूइया
5.	सूपा–एडवांस बॉध	किमी0 2.000	बूढ़ी राप्ती	सूपा
6.	अशोगवा–नगवा बॉध	किमी0 4.000 से 4.350	बूढ़ी राप्ती	कोड़रवा
7.	नरकटहा शहर सुरक्षा बॉध	किमी0 0.950 से 1.080	राप्ती	नरकटहा
8.	भवारी गायघाट–अजगरा बॉध	किमी0 2.100 से 2.40 किमी0 8.900 से 9.100	राप्ती	अजमागढ़ अमरिया

भाग–6
क्षमता व संसाधन
आपदा प्रबधन में आवश्यक संसाधन
संसाधनों से सम्बन्धित संगठन

सरकार विभाग
स्वास्थ्य
पुलिस
रेडक्रास
अग्निशमन
जल संसाधन
पथ निर्माण
डब्लू0एच0ओ0
पथ परिवहन
रेलवे
विद्युत
स्वैच्छिक संगठन
एन0सी0सी0
अन्य

6.1 आवश्यकताः–

विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दौरान खोज व बचाव एवं सहायता व पुर्नवास कार्यो के संपादन हेतु उपलब्ध मूलभूत एंव आवश्यक संसाधनों का आपदा पूर्व विश्लेषण आपदा प्रबन्धन कार्य का एक अनिवार्य अंग है। जिला स्तर सरकारी गैर सरकारी निजी एवं रक्षा संगठनों के पास खोज व बचाव के विभिन्न उपकरणों के साथ–साथ पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन भी मौजूद है। इस संस्थाओं के बीच में बेहरतर ताल मेल की किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में ससमय खोज व बचाव एवं सहायता व पुर्नवास का कार्य संपादित कर होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है।

इस भाग में विभागवार उपलब्ध संसाधनों का विवरण संलग्न है। जो आपदा प्रबन्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। जिले में उपस्थित सभी प्रकार के संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि जिला प्रशासन को समय–समय पर उपलब्ध संसाधन से अवगत कराते रहे जिसमें भारत आपदा संसाधन सूची में समायोजित किया जा सकें अथवा जिला नियंत्रण कक्ष में प्रदर्शित कर रखा जा सकें।

6.2 स्वास्थ्य विभागः–

(क) जिलें में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का विवरणः– भाग–1

क्र सं0	विकास खण्ड का नाम	प्रा0स्वा0के0 का नाम	नया प्रा0स्वा0 केन्द्र का नाम	उपकेन्द्र का सं0
1	नौगढ	नौगढ	महदेवा बाजार, शिवपतिनगर, अहिरौली, कन्दवा बाजार,	24
2	उसका	उसका	सेमरहना, महुलानी, सैनुआ, लोटन	23
3	लोटन			
4	बर्डपुर	बर्डपुर	सिकरी बखरिया, ककरहवा, अलीगढ़वा, बनकटवा, अलीदापुर	25
5	जोगिया	जोगिया	टडिया, कटेहना, बभनी	16
6	बांसी	बांसी	चेतिया, एकडेंगवा, मऊ, गोनहाडीह	22
7	मिठवल	मिठवल (तिलौली)	मिठवल, डिउई, छितौनी, जीवा, करमा	26
8	खेसरहा	खेसरहा	घोसियारी, कठकोरवा, मरवटिया, टीकुर	22
9	खुनियांव	खुनियांव	धोबहा, मधवापुर, बढया, मिठौआ, बल्जीजोत, पचमोहनी	24
10	भनवापुर	भनवापुर	विस्कोहर, सोहना, कोहडौरा, तरहर, बिजौरा	24
11	डुमरियागंज	डुमरियागंज	मोहनकोला, माधोपुर, अतरी बाजार	29
12	बढनी	बढनी	भुतहवा, अकरहरा	23
13	इटवा	इटवा	झकहिया, कठेला, मदोखर, जिगिना ठाकुर	20

प्रभारी चिकित्साधिकारी का विवरणः–

क्र0 सं0	चिकित्सक का नाम	स्वास्थ्य केन्द्र का नाम व पता	निवास स्थान	दूरभा I/मो0नं0
1	डा0 इकबाल अहमद	सामु0स्वा0के0 बेंवा डुमरियागंज	सामु0स्वा0के0 परिसर	9452210511
2	डा0 एस0एस0 ठाकुर	सामु0स्वा0के0 शोरहतगढ़	सामु0स्वा0के0 परिसर	9451120005
3	डा0 पी0पी0 राय	सामु0स्वा0के0 खेसरहा	सामु0स्वा0के0 परिसर	9919696259
4	डा0 एन0सी0 डिमरी	सामु0स्वा0के0 इटवा	सामु0स्वा0के0 परिसर	9451176277
5	डा0 विनय पाण्डेय	सामु0स्वा0के0 उसका बाजार	सामु0स्वा0के0 परिसर	9452801324
6	डा0 आर0के0 सिन्हा	सामु0स्वा0के0 बॉसी बसन्तपुर	सामु0स्वा0के0 परिसर	9919705105
7	डा0 सौरभ चतुर्वेदी	प्रा0स्वा0के0 नौगढ़	प्रा0स्वा0के0 परिसर	9415284309
8	डा0 रमेश पाण्डेय	प्रा0स्वा0के0 बर्डपुर	प्रा0स्वा0के0 परिसर	9415163360
9	डा0 संजय गुप्ता	प्रा0स्वा0के0 भनवापुर	प्रा0स्वा0के0 परिसर	9838856679
10	डा0 डब्ल्यू खॉन	प्रा0स्वा0के0 खुनियॉव	प्रा0स्वा0के0 परिसर	9454651786
11	डा0 जे0एन0 नायक	प्रा0स्वा0के0 जोगिया	प्रा0स्वा0के0 परिसर	9793616689
12	डा0 ए0के0 आजाद	प्रा0स्वा0के0 मिठवल	प्रा0स्वा0के0 परिसर	9838763069
13	डा0 नरेश गुप्ता	प्रा0स्वा0के0 बढ़नी	प्रा0स्वा0के0 परिसर	9451044585
14	डा0 आर0डी0 कुशवाहा	नया प्रा0स्वा0के0 मऊ	मऊ	–
15	डा0 जफर अंसरी	नया प्रा0स्वा0के0 चकचई	चकचई	9415702453
16	डा0 अमित कुमार	नया प्रा0स्वा0के0 बिजौरा	बिजौरा	9935471841
17	डा0 लालचन्द्र यादव	नया प्रा0स्वा0के0 डिडई	डिडई	9450136142
18	डा0 संजय शाही	नया प्रा0स्वा0के0 झकहिया	झकहिया	
19	डा0 एम0के0 सिंह	नया प्रा0स्वा0के0 चेतिया	चेतिया	9336919318
20	डा0 मनोज कुमार सिंह	नया प्रा0स्वा0के0 बढ़या	बढ़या	9415094257
21	डा0 एस0एन0 वैश्य	नया प्रा0स्वा0के0 बभनी बाजार	बभनी बाजार	9415321118
22	डा0 मो0 आयूब	नया प्रा0स्वा0के0 टड़िया बाजार	टड़िया बाजार	–
23	डा0 संजीव कुमार सोनी	नया प्रा0स्वा0के0 मिठौवा	मिठौवा	9415156975
24	डा0 सुनील कुमार	नया प्रा0स्वा0के0 अलीगढ़वा	अलीगढ़वा	9839248290
25	डा0 सुरेन्द्र यादव	नया प्रा0स्वा0के0 देईपार	देईपार	9919602857
26	डा0 गगादर्शन यादव	नया प्रा0स्वा0के0 भवानीगंज	भवानीगंज	9411903586
27	डा0 आर0पी0 मौर्या	नया प्रा0स्वा0के0 करमा	करमा	9838784779
28	डा0 राजवन्त	नया प्रा0स्वा0के0 मिठवल बाजार	मिठवल बाजार	9452678155
29	डा0 उजेर अतहर	नया प्रा0स्वा0के0 माधोपुर	माधोपुर	9838109430
30	डा0 वी0के0 चौधरी	नया प्रा0स्वा0के0 टीकुर	टीकुर	9415487714
31	डा0 मनीष कुमार सिंह	नया प्रा0स्वा0के0 एकडेगवा	एकडेगवा	9453578036
32	डा0 अभय प्रताप सिंह	नया प्रा0स्वा0के0 कंदवा बाजार	कंदवा बाजार	9936840486
33	डा0 राज कुमार	नया प्रा0स्वा0के0 अलीदापुर	अलीदापुर	9450571329
34	डा0 एच0एन0 सिंह	नया प्रा0स्वा0के0 सिकरी बखरिया	सिकरी बखरिया	9956191360
35	डा0 बी0पी0 सिंह	नया प्रा0स्वा0के0 नउवागॉव	नउवागॉव	9935451141
36	डा0 एस0एन0 आजाद	नया प्रा0स्वा0के0 महुलानी	महुलानी	983802437
37	डा0 सईद अहमद	नया प्रा0स्वा0के0 मरवटिया	मरवटिया	9648769219
38	डा0 सोहन प्रसाद गुप्ता	नया प्रा0स्वा0के0 अकरहरा	अकरहरा	9336691036
39	डा0 ए0के0 सिंह	नया प्रा0स्वा0के0 सेमरहना	सेमरहना	2331357
40	डा0 नवीन चन्द्रा	नया प्रा0स्वा0के0 सैनुआ	सैनुआ	9415210760
41	डा0 सुनील सिंह	नया प्रा0स्वा0के0 ककरहवा	ककरहवा	9415647447
42	डा0 हीरेन्द्र शर्मा	नया प्रा0स्वा0के0 जिगिना ठाकुर	जिगिना ठाकुर	9411617540
43	डा0अनिल कुमार चौधरी	नया प्रा0स्वा0के0 कठमोरवा	कठमोरवा	941537067
44	डा0 एम0एम0 मिश्रा	नया प्रा0स्वा0के0 घोसियारी	घोसियारी	–

45	डा0 मनोज कुमार	नया प्रा0स्वा0के0 जीवा	जीवा	9956424255
46	डा0 संतोष कुमार आनन्द	नया प्रा0स्वा0के0 अजगरा	अजगरा	—
47	डा0 आर0एन0 राय	नया प्रा0स्वा0के0 कटहना	कटहना	—
48	डा0 महेश कुमार सोनी	नया प्रा0स्वा0के0 अतरी बाजार	अतरी बाजार	9412315275
49	डा0 उमेश कुमार	नया प्रा0स्वा0के0 बढ़नी चाफा	बढ़नी चाफा	9415181549
50	डा0 विशान्त कुमार	नया प्रा0स्वा0के0 सोहना	सोहना	9452676367
51	डा0 सन्तोष कुमार आन्नद	नया प्रा0स्वा0के0 लोटन	लोटन	9839274031
52	डा0 इन्द्रजीत सिंह	नया प्रा0स्वा0के0 गोनहाडीह	गोनहाडीह	—
53	डा0 के0एन0सिंह	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र अहिरौली	अहिरौली	9415221565
54	डा0 आर0के0 वर्मा	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र शिवपति नगर	शिवपति नगर	9450378390
55	डा0 संजय कुमार चौधरी	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र महदेवा बाजार	महदेवा बाजार	9415246154
56	डा0 अमित उपाध्याय	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र बनकटवा	बनकटवा	9415210472
57	डा0 प्रशान्त कुमार	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र छितौनी	छितौनी	9918343559
58	डा0 प्रभात कुमार	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र पचमोहनी	पचमोहनी	9451931706
59	डा0 चन्द्र शेखर साहनी	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र मधवापुर	मधवापुर	9450614432
60	डा0 बी0के0 गुप्ता	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र भदोखर	भदोखर	9935308108
61	डा0 बी0के0 यादव	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र कठेला	कठेला	9634081409
62	डा0 मुस्ताकीम अंसारी	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र डुमरियागंज	डुमरियागंज	9935253084
63	डा0 प्रेम नाराणन	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र रसूलपुर	रसूलपुर	9161340023
64	डा0 पुलकेश सिंह	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र कोहड़ौरा	कोहड़ौरा	—
65	डा0 चन्द्र किशोर	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र विस्कोहर	विस्कोहर	—
66	डा0 मनोज कुमार पाल	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र तरहर	तरहर	92355310199
67	डा0 संजय शाही	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र भुतहवा	भुतहवा	9431880785
68	डा0 ए0के0 शुक्ला	नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र मोहनकोला	मोहनकोला	9415048880

(ग) बाढग्रस्त क्षेत्रों में उलब्ध सुविधाएंः—

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	हेल्थ सर्विस से0 की संख्या	प्रा0स्वा0 के0	नया प्रा0स्वा0केन्द्र	पंचायत भवन
1	नौगढ़	6	1	4	
2	उसका बाजार	8	1	4	
3	लोटन				
4	बर्डपुर	3	1	5	
5	जोगिया	4	1	3	
6	बांसी	8	1	4	
7	मिठवल	8	1	5	
8	खुनियांव	3	1	4	
9	मिठवल	6	1	6	
10	भनवापुर	6	1	5	
11	डुमरियागंज	5	1	8	
12	बढ़नी	4	1	5	
13	इटवा	7	1	4	

(च) जिले में उपलब्ध उपकरणों की सूचीः—

क्र. स.	उपकरणों का प्रकार	आवश्यक सं0	उपलब्ध सं0	स्थिति	टिप्पणी
1	स्ट्रेचर (नार्मल)	46	26	ठीक	20 आवश्यकता
2	फर्स्ट ऐड किट्स	46	26	ठीक	20 आवश्यकत
3	पो0आक्सीजन सिलिण्डर	160	26	ठीक	134 आवश्यकता
4	पोर्टेबल सक्शन यूनिट	34	23	16 ठीक	7 आवश्यकता

5	वाटर बैंक				
6	चारवहिया वाहन	40	31	ठीक	9 आवश्यकता
7	ट्रक	01	00		01 आवश्यकता
8	एम्बुलेंस (मृत)	01	00		01 आवश्यकता

(छ) जिले में उपलब्ध दवाओं की स्थितिः–

क्र. स.	दवाओं के प्रकार	आवश्यक सं0	उपलब्ध सं0	स्थिति	टिप्प.ाी
1	वैक्सीन (पोलिया, डी0टी0पी0)	292870–442840	28500–42150	ठीक	
2	टी0टी0,बी0सी0जी0 मिजिल्स	416000–102340–106175	25600–21150–500	ठीक	मिजिल्स की कमी है
3	एण्टी स्नेक भेनम	200 वायल	156 वायल		
4	क्लोरीन टैबलेट	400ग100टेब0	00		
5	आयरन टैबलेट	200000टेब0	200000टेब0		
6	हैलोजन टैबलेट				

(ज) स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित प्रमुख दूरभाष संख्याः–

क्रमांक	पदनाम	कोड	फोन नं0	
			कार्यालय	आवास
1	CMS (Male)	05544	222001 (Emergency)	
2	CMS (Female)	05544		220054

6.2 अग्निशमन विभागः–

(क) विशिष्ट उपकरणों का विवरणः–

क्र. स.	उकपरण का नाम	आवश्यक सं0	उपलब्ध सं0	अवस्थिति	टिप्पणी
1	आपर इंजन (एम0एफ0ई0)	3	3	ठीक	
2	पम्प डीजल	2	2	ठीक	
3	सर्च लाइट				
4	लाईफ बाय				
5	विदिंग एपरेट्स				
6	फोम (बी–क्लास)	120	120	ठीक	
7	एम्बूलेंस	1	1	ठीक	
8	फ्लोट पम्प	3	3	ठीक	

(ख) अधिकारी व कर्मचारी का विवरण :–

क्र0सं0	पदनाम	आवश्यक (स्वीकृत सं0)	उपलब्ध सं0	स्थिति	अन्य	मो0नं0
1	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	–	–	–	–	
2	अग्निशमन अधिकारी	2	1	1	–	
3	अग्निशम द्वितीय अधिकारी	2	1	1	–	
4	सीडिंग फायर मैन	8	4	4	–	
5	फायर सर्विस चालक	7	7	–	–	
6	फायर मैन (कान्सटेबुल)	50	41	9	–	
7	अनुचर फालवर	4	4	–	–	
8	सफाई कर्मचारी	2	2	–	–	

(ग) फायर हाइडेन्टों का विवरणः–

क्र0सं0	फायर हाइडेन्टों का पता	दशा
1	जवाहर लाल नहेरू इण्टर कालेज के सामने (पीपल) पुरानी नौगढ़	प्रेशर कम
2	ओवर टैंक के पास पुरानी नौगढ़ सि0नगर	ठीक दशा में
3	हनुमान मन्दिर सि0नगर लुम्बिनी रोड तेतरी बाजार	प्रेशर कम
4	पुलिस बूथ चौराहा के पास तेतरी बाजार , सि0नगर	ठीक दशा में
5	उसका मार्ग ड्रेनेज कार्यालय (जामा मस्जिद के सामने) सि0नगर	ठीक दशा में
6	न्यायालय परिसर ओवर हेड टैंक के नीचे	ठीक दशा में
7	प्राइमरी स्कूल नरकटहा बांसी सि0नगर	ठीक दशा में
8	जग्गी श्रीवास्तव (जनवरी स्टोर की दूकान के पास) नेहरू नगर नरकटहा बांसी, सि0नगर	ठीक दशा में
9	मध्य बाजार रोड पर (मोहनी देवी के मकान के सामने) बांसी,	ठीक दशा में
10	मध्य बाजार रोड पर (रामलखन के मकान के सामने) बांसी	ठीक दशा में
11	पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड परिसर में सि0नगर	ठीक दशा में

6.4 उत्तर प्रदेश राज्य वरिवहन निगमः–

(क) विशिष्ट उपकरणों सम्बन्धी विवरणः– (परिवहन निगम, सिद्धार्थनगर)

वाहन के प्रकार	सम्बन्धित विभाग	नम्बर
बस	यू0पी0एस0, आर0टी0सी0	39
बस	प्राइवेट	12
स्कूल बस	प्राइवेट	18
हल्का मोटर वाहन	प्राइवेट	45
भार वाहन	प्राइवेट	55

(ख) अधिकारियों/कर्मचारियों सम्बन्धी विवरणः–

क्र0सं0	कर्मियों का प्रकार	आवश्यक सं0	उपलब्ध सं0	अवस्थिति	टिप्पणी
1	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक	1	1	–	–
2	वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी	1	–	–	–
3	कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी	2	2	–	–
4	यातायात अधीक्षक	1	1	–	–
5	सहायक यातायात निरीक्षक	3	3	–	–
6	यातायात निरीक्षक	1	–	–	–
7	लिपिक	20	16	–	–
8	कोषाध्यक्ष	1	–	–	–
9	सहायक कोषाध्यक्ष	1	1	–	–
10	सीनियर फोरमैन	1	–	–	–

- विविध आवश्यक उपलब्ध संसाधनः–
- जिले के प्रायः सभी कार्यालयों में पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन उपलब्ध है।
- जिले के प्रायः सभी विभागों के पास वाहन सुविधा उपलब्ध है।
- जिले के सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्र व पंचायतों में पंचायत भवन स्थित है। जिसका उपयोग अस्थायी आश्रय शिविर के रूप में किया जा सकता है।
- जिले के सभी विकास खण्ड मुख्यालय में भंडारण गृह स्थित है। जिसकी मरम्मत कराकर भडारण का कार्य किया जा सकता है।
- आवश्यक सामानों की ढुलाई के लिए सडक, रेल व वायु तीन प्रकार के मार्ग उपलब्ध है।
- जिले के सभी थानों में वी0एच0एफ0 सेट उपलब्ध है।

भाग–7

आपदा पूर्व जबाबी कार्य योजना

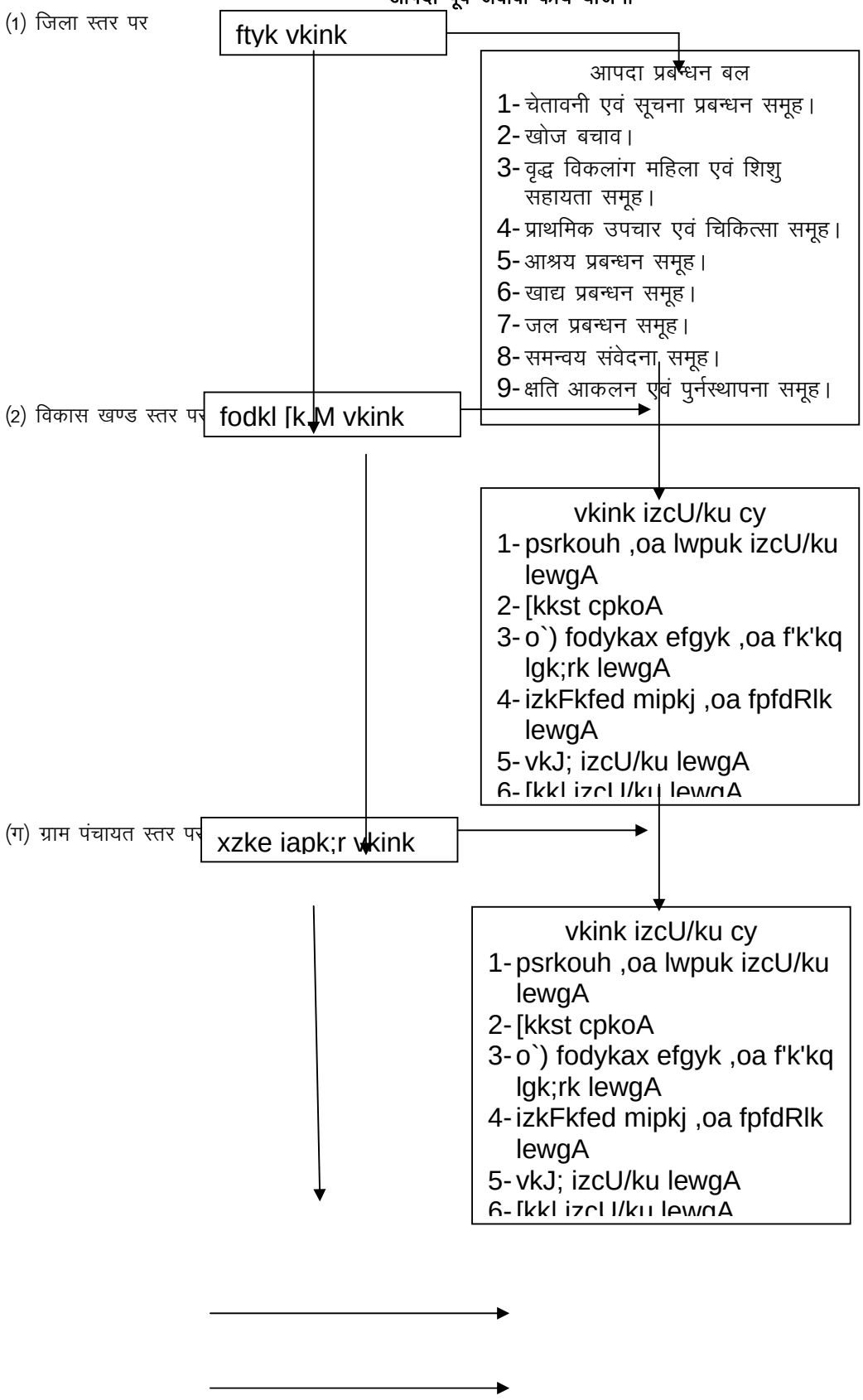

(3) ग्राम स्तर पर

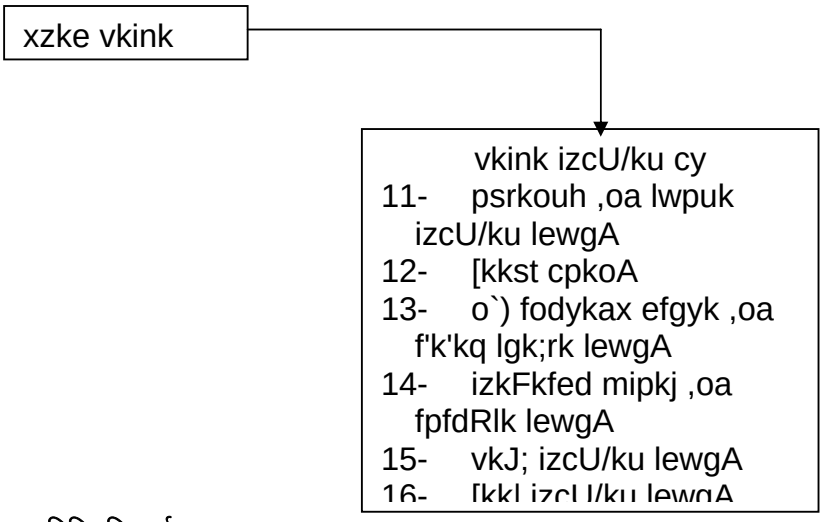

जिला आपदा प्रबन्धन समिति–सिद्धार्थनगर।

विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक व कृत्रित आपदाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए जिला आपदा प्रबन्धन समिति, सिद्धार्थनगर के तहत विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को मिलार 9 प्रकार के कार्यदलों का गठन किया गया है जो आपदाओं में होने वाली क्षति को कम करने हेतु निर्धारित गतिविधियों को क्रियान्वयन करेगी।

इसी प्रकार खण्ड स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर, राजस्व ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन समितियां एवं नौ प्रकार के दलों का गठन किया गया है। जो प्रत्येक स्तर पर निम्नलिखित दायित्वों का निर्वाहन करेंगी।

आपदा प्रबन्धन समिति

1- बैठक बुलाना एवं बैठकों की कार्यवाही लिखना तथा सभी से हस्ताक्षर कराना।
2- प्रति छः माह पर आपदा प्रबन्धन योजना पर विचार कर कार्यो का चिन्हित करना एवं समीक्षा करना।
3- आपदा प्रबन्धन समूहों की देख–रेख तथा समस्याओं का समाधान।
4- विकास खण्ड, ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम, आपदा प्रबन्धन समिति से सम्पर्क बनाये रखना।

7.1 चेतावनी एवं सूचना प्रबन्धन समूह

क्र0सं0	**आपदा पूर्वः–**
1.	चेतावनी एवं सूचनाओं की टी0वी0 रेडियों पर सूचना।
2.	विकास खण्ड आपदा प्रबन्धन समिति।
3.	चेतावनी को विकास खण्ड, तहसील, कोतवाली, मुख्यालय से सत्यापित करना।
4.	संवेदनशीलों की सूची।

क्र0सं0	**आपदा के दौरानः–**
1.	संवेदनशील घरो, व्यक्तियों, लाचार व्यक्तियों, महिलाओं बच्चों को सावधान कर स्थान खाली कराना।
2.	वैकल्पिक रास्तों एवं संसाधनों की व्यवस्था करना।
3.	सूचना–सूचना।

क्र0सं0	**आपदा के पश्चात्**
1.	प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्य करना तथा समुदाय को सूचना देना।
2	कन्ट्रोल रूम से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना।

7.2 खोज बचाव एवं निष्पादन समूह

क्र0सं0	**आपदा पूर्वः–**
1.	संवेदनशील लोगों की सूची तैयार कर रखना तथा इनकी जानकारी रखना।
2.	जरूरी सामान तैयार रखना।
3.	यातायात की व्यवस्था एवं जानकारी।
4.	वैकल्पिक रास्तों की जानकारी।

5. जानवरों की जानकारी एवं चारागाहों की जानकारी।

क्र0सं0 आपदा के दौरानः–

1. लोगों की तत्काल गतिशीलता।
2. लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित कराना।
3. जानवरों एव शवों नि पादन।
4. समुदायों के छूटे लोगों को ढूढना एवं सुरक्षित स्थान पर पहुचाना।

क्र0सं0 आपदा के पश्चात्

1. लोगों का उपचार हेतु अस्पताल पहुचाना।
2. यातायात की व्यवस्था।
3. लोगों की घर वापसी से सम्पर्क स्थापित करना।
4. आपदा प्रबन्धन समिति को सहयोग देना।

7.3 वृद्ध विकलांग, महिला एवं शिशु सहायता समूहः–

क्र0सं0 आपदा पूर्वः–

1. संवेदनशील लोगों की सूची तैयार कर रखना तथा इनकी जानकारी रखना।
2. जरूरी सामान तैयार रखना।
3. यातायात की व्यवस्था एवं जानकारी।
4. वैकल्पिक रास्तों की जानकारी।
5. जानवरों की जानकारी एवं चारागाहों की जानकारी।

क्र0सं0 आपदा के दौरानः–

1. संवेदनशील समूह के लोगों को ढूंढना एवं सुरक्षित स्थान पर पहुचाना।
2. यातायात की व्यवस्था।
3 छूटे लोगों को ढूंढना।
4 लोगों को सहायता देना ।

क्र0सं0 आपदा के पश्चात्ः–

1. अस्पताल पहुंचाना।
2. सुरक्षित घर वापसी में सहयोग।
3 शवों का नि पादन।
4. सूचना आदान–प्रदान।
5. यातायात व्यवस्था।

7.4 प्राथमिक उपचार एचं चिकित्सा समूह

क्र0सं0 आपदा पूर्वः–

1. गर्भवती महिला, वृद्ध, विकलांग, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे की सूची तैयार कर।
2. प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक सूची दवा, पट्टी की व्यवस्था का तैयार रहना।
3. लोगों की स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता के प्रति जागरूकता।

क्र0सं0 आदपा के दौरानः–

1. घायलों का प्राथमिक उपचार।
2. आवश्यकतानुसार अस्पताल भेजना।
3. यातायात की व्यवस्था।
4. सुरक्षित आश्रय पर पहुचना।
5. गर्भवती महिलाओं हेतु विशेष व्यवस्था।
6. स्वच्छता का ध्यान रखना ताकि कोई बिमारी न फैले।

क्र0सं0 आपदा के पश्चात्ः–

1. सुरक्षित घर वापसी।
2. गर्भवती महिला को अस्पताल भेजना।
3. उपचार हेतु सरकारी अस्पतालों से सहायता लेना एवं उन्हें सहायता देना।
4. स्वयं सेवी संस्थाएं की सहभागिताा सुनिश्चित कराना।
5. किसी बिमारी को फैलने से रोकना।

7.5 आश्रय प्रबन्धन समूहः–

क्र0सं0	**आपदा पूर्वः–**
1.	आश्रय का स्थान चिन्हित करना।
2.	प्रकाश की व्यवस्था।
3.	स्चच्छता का ध्यान रखना।
4.	शौच की व्यवस्था करना।
5.	गर्भवती महिलाओं की विशेष व्यवस्था।
क्र0सं0	**आपदा के दौरानः–**
1.	आश्रय में लोगों की पहुच सुनिश्चित कराना।
2.	लोगों को आश्रय की जानकारी।
3.	आश्रय प्राप्त लोगों का विवरण।
4.	छूटे लोगों की तलाश।
5.	आश्रय की स्वच्छता का ध्यान देना।
6.	रेडियों पर सूचना सुनना एवं लोगों को बताना।
क्र0सं0	**आपदा के पश्चात्**
1.	लोगों की घर वापसी में सहायता।
2.	संसाधनों की वापसी।
3.	आश्रय की सफाई।
4.	आश्रय की मरम्मत।
5.	खर्च का विवरण ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति को देना।

7.6 खाद्य प्रबन्धन समूहः–

क्र0सं0	**आपदा पूर्वः–**
1.	खाद्य सामग्री की व्यवस्था।
2.	आपदा प्रबन्धन समिति के समन्वय बनाये रखना।
3.	कंट्रोल रूप में सम्पर्क बनाये रखना।
4.	जानवरों के चारे को विकल्प ढूंढना एवं उनकी व्यवस्था।
क्र0सं0	**आपदा के दौरानः–**
1.	खाद्य सामग्री वितरण की व्यवस्था।
2.	हर वर्ग जाति समुदाय की जानकारी रखना एवं ध्यान देना।
3.	स्वयं सेवी संस्थाएं से सहयोग लेना।
4.	खाद्य वितरण को खाद्य प्रबन्धन की दृष्टि से देखना।
क्र0सं0	**आपदा के पश्चात्ः–**
1.	लोगों को सहायता प्रदान करना।
2.	बाहरी सहायता चिन्हित कर ग्रामीणों को लाभ दिलाना।
3.	कार्य की बाधाओं उपलब्धियों की चर्चा ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति की बैठक में करना।

7.7 जल प्रबन्धन समूहः–

क्र0सं0	**आपदा पूर्वः–**
1.	पेयजल स्रोतो का चिन्हीकरण।
2.	कुआ।
3.	हैण्डपम्प इण्डिया मार्का सरकारी।
4.	हैण्डपम्प प्राइवेट।
5.	ट्यूबले से सम्बन्धित से पूर्व जानकारी।
6.	पेयजल वर्तनों की व्यवस्था।
क्र0सं0	**आपदा के दौरानः–**
1.	स्वच्छ पेयजल मुहैाय कराना।
2.	दवाओं का प्रयोग करना।
3.	स्चच्छता का ध्यान रखना।
क्र0सं0	**आपदा के पश्चात्ः–**
1.	पेयजल स्रोतों का मरम्मत।
2.	पेयजल वर्तनों की वापसी एवं सही रख–रखाव ।

3. आपदा प्रबन्धन समिति को रिपोर्ट देना।

7.8 राहत परामर्श एवं समन्वय संवेदना समूहः–

1. लोगों के जानमाल की क्षति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें सांतवना देना।
2. लोगों में धैर्य प्रोत्साहित कराना।
3. राहत कार्यो की जानकारी देना तथा क्षति की वापसी के बारे में बताना उन्हें जागरूक करना।
4. विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी देना।
5. उनकों समान्य स्थिति में लाने का प्रयास करना।

7.9–क्षति आंकलन एवं पुर्नस्थापना समूह

1– ग्रामो के संवेदनशील संसाधनों की सूची रखना तथा समय–समय पर निरीक्षण एवं आवश्यक बिन्दुओं को जोड़ना।
2– समुदाय की क्षति का पूर्व जानकारी।
3– सरकारी तंत्र को आवश्यकतानुसार जानकारी देना।
4– अन्य सरकारी/गैर सरकारी श्रोतो से क्षतिपूर्ति के लिए प्रयास करना।

7.10 कार्यो का विशेष बंटवारा :–

निम्नलिखित रूप से कार्यो का बंटवारा किया जायेगा प्रत्येक कार्यदल अपने साथ कर्मचारी एवं संसाधन रखेंगें। कार्यदल प्रमुख को ब्यक्तिगत निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

- चेतावनी एवं सूचना प्रबंधन समूह :–

क्रम सं0	नाम/पदनाम	सदस्य	पता	दूरभाष
1	अपर पुलिस अधीक्षक	अध्यक्ष/नेतृत्वकर्ता	पुलिस अधीक्षक कार्यालय,सिद्धार्थनगर	222183
2	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य	कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर	
3	रजिस्ट्रार कानूनगों सदर	सदस्य	तहसील कार्यालय,नौगढ़	
4	रजिस्ट्रार कानूनगों बाँसी	सदस्य	तहसील कार्यालय,बाँसी	
5	रजिस्ट्रार कानूनगों शोहरतगढ़	सदस्य	तहसील कार्यालय,शोहरतगढ़	
6	रजिस्ट्रार कानूनगों इटवा	सदस्य	तहसील कार्यालय,इटवा	
7	रजिस्ट्रार कानूनगों डुमरियागंज	सदस्य	तहसील कार्या0,डुमरियागंज	
8	श्री नजीर मलिक ब्यूरोचीफ दैनिक जागरण	सदस्य		222244/9415069770
9	श्री रविन्द्र नाथ त्रिपाठी प्रतिनिधि आकाश वाणी दूरदर्शन	सदस्य		222370/9415193917
10	श्री अनिरूद्ध पाण्डेय प्रतिनिधि हिन्दुस्तान टाइम्स	सदस्य		222285
11	श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव ई0टी0वी0	सदस्य		9415879940
12	श्री सलमान अमीर स्टार टी0वी0	सदस्य		220565/9415092085

- खोज बचाव एवं निष्पादन समूह :–

क्रम सं0	नाम/पदनाम	सदस्य	पता	दूरभाष
1	जिला अग्निशमन अधिकारी	अध्यक्ष/नेतुत्वकर्ता	अग्निशमन कार्यालय सिद्धार्थनगर	
2	समस्त थानाध्यक्ष	सदस्य	सिद्धार्थनगर	
3	सचिव,जिला अपराध निरोधक कमेटी	सदस्य		
4	संयोजक,जिला अपराध निरोधक कमेटी	सदस्य		
5	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी	सदस्य	कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्नवास अधिकारी खजुरिया रोड सिद्धार्थनगर	
6	प्रभारी एन.सी.सी.	सदस्य	श्री सिंहेश्वरी इण्टर कालेज	

			सि0नगर	

7	जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड	सदस्य	जिला कमाण्डेंट होमगार्ड कार्यालय सि0नगर	941003789
8	डी0ओ0पी.आर.डी.	सदस्य	विकास भवन सिद्धार्थनगर	
9	श्री सिद्धार्थन शंकर पाण्डेय	सदस्य	जिला,विज्ञान क्लब सिद्धार्थनगर	
10	प्रभारी एन.सी.सी.	सदस्य	शिवपति इण्टर कालेज शोहरतगढ़ सि0नगर	
11	असलम परवेज	सदस्य	गांव–बजहीपो0गुलरियाबाजार जि0सि0नगर	
12	अख्तर कमाल	सदस्य	गांव–बजीराबाद पो0 नौगढ़ जि0सि0नगर	
13	शहंशाह आलम	सदस्य	ग्राम व पो0 औदही कला जिला सि0नगर	
14	अरबिन्द कुमार ओझा	सदस्य	गांव–पिपरापाण्डेय पो0धेन्सानानकार सि0नगर	
15	अर्जुन प्रसाद	सदस्य	कम्पनी कमांडर होमगार्ड	
16	प्रहलाद तिवारी	सदस्य होमगार्ड		

- आश्रम प्रबंधन समूह :–

क्रम सं0	नाम / पदनाम	सदस्य	पता	दूरभाष
1	जिला विद्यालय निरीक्षक	अध्यक्ष / नेतृत्वकर्ता	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थनगर	220443 / 9415710366
2	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य	कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी	220583 9415169086
3	जिलापंचायत राज अधिकारी	सदस्य	विकास भवन सिद्धार्थनगर	
4	समस्त तहसीलदार	सदस्य		
5	प्रधानाचार्य	सदस्य	जय किसान इण्टर कालेज सकतपुर सनई	
6	प्रधानाचार्य	सदस्य	सिद्धार्थ शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज सिद्धार्थनगर	
7	प्रधानाचार्य	सदस्य	किसान इण्टर कालेज उसका बाजार सिद्धार्थनगर	
8	प्रो0आर.के.टेन्ट हाउस	सदस्य	परसा चौराहा सिद्धार्थनगर	
9	अध्यक्ष युवक मंगल दल	सदस्य	नेहरू युवा केन्द्र सिद्धार्थनगर	
10	समस्त मुख्य प्रशिक्षक तकनीकी / इन्जीनियर	सदस्य		
11	समस्त अध्यक्ष राजगीर संघ आपदा प्रबंधन	सदस्य		

- **खोज बचाव एवं निष्पादन समूह :–**

क्रम सं0	नाम / पदनाम	सदस्य	पता	दूरभा ा
1	जिला पूर्ति अधिकारी	अध्यक्ष / नेतृत्व कर्ता	का. डी.एस.ओ.सिद्धार्थनगर	222145 / 9935912500
2	प्रबंधक दुग्घ संघ	सदस्य	खजुरिया रोड सिद्धार्थनगर	220613
3	सचिव पी0सी0एफ0	सदस्य		
4	सचिव पी0सी0एफ0	सदस्य		
5	समस्त विपणन निरीक्षक	सदस्य	सिद्धार्थनगर	
6	पूर्ति निरीक्षक,सदर	सदस्य		
7	पूर्ति निरीक्षक,बाँसी	सदस्य		
8	पूर्ति निरीक्षक,डुमरियागंज	सदस्य		
9	पूर्ति निरीक्षक,इटवा	सदस्य		
10	पूर्ति निरीक्षक,शोहरतगढ़	सदस्य		
11	घनश्याम जायसवाल,उद्यमी	सदस्य	पुरानी नौगढ़, सिद्धार्थनगर	

- **जल प्रबंधन समूह :–**

1	अधिशासी अभि. जलनिगम	अध्यक्ष / नेतृत्वकर्ता	जल निगम कार्यालयअशोक मार्ग सिद्धार्थनगर	222324 / 983936881
2	अधि0 अभि0 ड्रेनेज	सदस्य	ड्रेनेज खण्ड कार्यालय उसका रोड सिद्धार्थनगर	220730 / 9839370481
3	अधि0 अभि0 विद्युत		उसका रोड सिद्धार्थनगर	222305 / 9415059661
4	अधि0 अभि0 नलकूप		जिला सहकारी बैंक सिद्धार्थनगर	222336 / 9415302568
5	जिला प्रबंधक एग्रो	सदस्य		
6	समस्त ई0ओ0नगर पालिका / नगर पंचायत	सदस्य		

7	समस्त रेंजर वन विभाग	सदस्य		

- राहत परामर्श एवं संवेदना समूह :–

क्रमसं0	नाम/पदनाम	सदस्य	पता	दूरभाष
1	अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) सिद्धार्थनगर	अध्यक्ष/ नेतृत्वकर्ता	कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर	221850/9454417601
2	समस्त उपजिलाधिकारी	सदस्य	समस्त तहसील सिद्धार्थनगर	
3	समस्त तहसीलदार	सदस्य	समस्त तहसील सिद्धार्थनगर	
4	लीड बैंक मैनेजर	सदस्य	उस्का रोड सिद्धार्थनगर	222219/9451862029
5	परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0	सदस्य	विकास भवन सिद्धार्थनगर	222287/9415358031
6	जिला पंचायतराज अधिकारी,	सदस्य	विकास भवन सिद्धार्थनगर	220003/9918193227
7	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य	जिला पंचायत कार्यालय सिद्धार्थनगर	221376/ 9415019708
8	जिला निबन्धक सहकारी समितियाँ	सदस्य	विकास भवन सिद्धार्थनगर	
9	जयशंकर प्रसाद मिश्र,एडवोकेट	सदस्य	राहुल नगर तेतरी बाजार सिद्धार्थनगर	9452211982

- क्षति आंकलन एवं पूर्नस्थापना समूह :–

क्रमसं0	नाम/पदनाम	सदस्य	पता	दूरभाष
1	अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)	अध्यक्ष/ नेतृत्वकर्ता	कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर	221850/9454417601
2	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य	कृषि भवन सिद्धार्थनगर	
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य	मुख्यचिकित्साधिकारीकाय. सि0नगर	220996
4	मुख्य पशु चिकित्साधिकरी	सदस्य	विकास भवन सिद्धार्थनगर	220572
5	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य	उद्यान कार्यालय अशोक मार्ग	9450454924
6	समस्त तहसीलदार	सदस्य	समस्त तहसील सिद्धार्थनगर	
7	अधि0अभि0लोक निर्माण	सदस्य	पी0डब्लू0डी0आफिस सिद्धार्थनगर	222150/9415301288
8	अधि0अभि0 ड्रेनेज खण्ड	सदस्य	ड्रेनेज खण्ड आफिस उस्का रोड सि0नगर	220730/9839370481
9	अधि0अभि0सिंचाई निर्माण	सदस्य	कृषि भवन के पीछे सिद्धार्थनगर	220430
10	अधि0 अभि0 विद्युत	सदस्य	उस्का रोड सिद्धार्थनगर	222305/ 9415059661
11	अधि0अभि0 जल निगम	सदस्य	जल निगम कार्यालय सिद्धार्थनगर	222324/983926881
12	अधि0अभि0 नलकूप	सदस्य	जिला सहकारी बैंक के नीचे सिद्धार्थनगर	222336/ 9415302568
13	अधि0अभि0आर0ई0एस0	सदस्य	विकास भवन सिद्धार्थनगर	222309/9415245827
14	अधि0अभि0 पैक्स फेड	सदस्य	उस्का रोड सिद्धार्थनगर	

- <u>बृद्ध,विकलांग,महिला एवं शिशु सहायता समूहः–</u>

क्रम सं0	नाम/पदनाम	सदस्य	पता	दूरभाष
1	जिलासमाज कल्याण अधिकारी	अध्यक्ष/ नेतृत्वकर्ता	विकास भवन सिद्धार्थनगर	220058/9415164496
2	कमलेश गुप्ता	सदस्य	निरीक्षण भवन के सामने	
3	डा0 सलीम बेग	सदस्य	न्यू एरा पब्लिक स्कूल महदेइया बर्डपुर,सिद्धार्थनगर	
4	जिला प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य	कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर	9839618580
5	जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास एवं पुष्टाहार	सदस्य	विकास भवन सिद्धार्थनगर	221088/9415339872
6	बाल विकास परियोजनाधिका नौगढ़	सदस्य	ब्लाक नौगढ़ सिद्धार्थनगर	
7	संजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य	मु0 इन्दिरा नगर, पालिकासिद्धार्थनगर	9935468461
8	सपना शक्ति	सदस्य	खेसरहा सिद्धार्थनगर	
9	उमेश चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य	सिद्धार्थ भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान सिद्धार्थन्गर	

• **प्रथमिक उपचार एवं चिकित्सा समूह :–**

क–(मानव)

क्रम सं0	नाम / पदनाम	सदस्य	पता	दूरभाष
1	मुख्य चिकित्साधिकारी	अध्यक्ष / नेतुत्वकर्ता	मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, सिद्धार्थनगर	220996
2	जिला आर्युदिक चिकित्साधिकारी	सदस्य	जिला आर्युदिक चिकित्सालय सिद्धार्थनगर	9415264771
3	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	सदस्य	जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय, उस्का रोड सिद्धार्थनगर	
4	इन्चार्ज रैपिड रिस्पान्स टीम	सदस्य	मुख्य चित्साधिकारी कार्यालय, सिद्धार्थनगर	
5	जिला क्षय रोग चिकित्साधिकारी	सदस्य	जिला चिकित्साधिकारी सिद्धार्थनगर	
6	समस्त विकास खण्ड चिकित्साधिकरी	सदस्य	समस्त चिकित्सालय सिद्धार्थनगर	
7	जिला मलेरिया नियन्त्रण अधिकारी	सदस्य		
8	समस्त 0एन0एम0सदस्य	सदस्य		
9	समस्त स्वास्थ्य सहायक	सदस्य		
10	समस्त मुख्य प्रशिक्षक प्राथमिक चिकित्या	सदस्य		

• **प्रथमिक उपचार एवं चिकित्सा समूह :– (ख)–(पशु):–**

1	जिला पशु चिकित्साधिकारी	अध्यक्ष / नेतुत्वकर्ता	जिला पशु चिकिस्ताधिकारी कार्यालय, सिद्धार्थनगर	
2	समस्त विकास खण्ड पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य		
3	समस्त प्रभारी वायफ केन्द्र	सदस्य		

भाग–8
सिद्धार्थनगर जनपद में विभिन्न आपदाओं हेतु न्यनीकरण

सिद्धार्थनगर जिले के आपदा इतिहास के अनुसार यह जिला मुख्य रूप से बाढ़ व आगजनी से ग्रसित रहा है। इसके अलावा लू, सड़क दुर्घटना जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ा है। भूकम्प प्रवण जोन–प्लेट में स्थित होने के कारण जोखिम के दृ ि टकोण से यह जिला काफी संवेदनाशील माना जा सकता है। यह न्यूनीकरण योजना दो तरफ की होगी–(1) संरचानात्मक व (2) गैर–संरचनात्मक। संबन्धित विभाग इस न्यूनीकरण योजना के आधार पर इसका संपादन करेंगें। आपदावार न्यूनीकरण कार्य योजना निम्न रूपेण है।

8.1–बाढ़ :–

प्राकृतिक आपदा का एक अंग बाढ़ भी है जिसका प्रत्यक्ष संबंध वर्षा से है। यह जल प्रबन्धक को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो नदिया असंतुलित होकर उफान की अवस्था में आ जाती है,फलस्वरूप बाढ़ की उत्पति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की परिस्थितिकी पर पड़ता है । बाढ़ का सामान्य कार्य होता है– विस्तृत स्थानीय भू–भाग को कई दिनों तक जल मग्न करना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्राकृति ही उत्तरदायी है, लेकिन मानवीय क्रिया कलाप भी कुछ हद तक उत्तरदायी है।

भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली मौतें में 20 प्रतिशत योगदान भारत का होता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 17 प्रतिशत भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हे0 है, सिद्धार्थनगर जिला बाढ़ प्रभावित है। प्रत्येक ब र्ा बानागंगा,राप्ती व बूढ़ी राप्ती नदिया एवं पहाड़ी नालों के प्रभाव से कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग प्रभावित होता रहा है।

आपदा के लिए न्यूनीकरण योजना :–

आपदा के कारण होने वाली जान–माल की क्षति को सरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठा कर काफी हद तक न्यूनीकरण किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमो में बाढ़ के पानी से नुकसान पहुचनें वाले स्थानों पर मरम्मती कार्य करा कर पानी को बाहर जाने से रोका जा सकता है तथा गैर संरचनात्मक उपायो से नुकसान संभावित क्षेत्र में से ब्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

नियंत्रण कक्ष :–

राज्य स्तरीय आपदा नियन्त्रण कक्ष आपदा प्रबन्धन विभाग,लखनऊ में स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष की दूर दूरभाष संख्या 1070 है तथा वहां के पदाधिकारियों का दूरभाष संख्या निम्न रूपेण है।

क्रम सं0	नाम	कार्यालय	आवास
01.	राहतआयुक्त,आपदा प्रवन्धन,लखनऊ उ0प्र0	0522–2238084	
02.	राज्यपरियोजनाधिकारी,आपदा प्रबन्धन विभाग उ0प्र	1070	
01.	जिला आपदा नियन्त्रण कक्ष	1077	
02.	जिलाधिकारी	05544–222169	222133 फै.–220174
03.	अपरजिलाधिकारी	05544–221850	
04.	उपजिलाधिकारी नौगढ़	05544–220597	222128
05.	उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़	05544–263385	
06.	उपजिलाधिकारी इटवा	05541–231327	
07.	उपजिलाधिकारी बाँसी	05545–255202	
08.	उपजिलाधिकारी डुमरियागंज	05541–244439	

जिला स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष,जिलाधिकारी कार्यालय में स्थापित की गयी है,जहां प्रत्येक 8–8 घण्टे हेतु एक अधिकारी व तीन कर्मचारी की नियुक्ति की गयी है। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी भी आपदा सहायता कार्य के प्रभारी भी है।

बाढ़ पूर्व तैयारी,पूर्व चेतावनी,प्रतिक्रिया,जोखिम न्यूनीकरण :–

यह पहले से ही चिन्हित कर लिया गया है कि नदी तट पर से लगे कौन से गाँव बाढ़ की जोखिम वाले स्थिति में है और उनके जोखिम का स्तर क्या है। ग्रामों की तहसीलवार सूची संलग्न है। उपरोक्त के अतिरिक्त कमजोर बंधों/तटबंधों की भी पहचान कर ली गई जिनसे बाढ़ का खतरा हो सकता है तटबंधों की तहसीलवार सूची संलग्न है।

वर्ष 2000 की बाढ़ में जनपद में बहने वाली मुख्य नदियों/नालों का जल स्तर निम्न प्रकार रहा है:–

क्रमांक	नद्दी	दिनांक	उच्चतम जलस्तर	खतरे का बिन्दु	उच्चतम जल स्तर
1	राप्ती	14.09.2000	885–770 मीटर	84–900मीटर	85–775 मीटर
2	बूढी राप्ती	12.09.2000	88–425	85–650	88–875
3	कूड़ा (उसका)	14.09.2000	85–500	83–520	85–490
4	कूड़ा आलमनगर	13.09.2000	86–500	87–200	89–450
5	बानगंगा	09.09.2000	305–80 फीट	308–50 फीट	310–000 फीट
6	जमुआर नाला	14.09.2009	13–60 फीट	12–00 फीट	15–40 फीट

बाढ़ प्रतिक्रिया के लिए एजेन्सियां– पूर्व चेतावनी के लिए बाढ़ खण्ड प्रथम,केन्द्रीय जल आयोग तथा मौसम विभाग द्वारा बाढ़/मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान/सूचनाओं का प्रसार किया जाएगा।

सहयोगी सेवाओं के लिए एतेन्सियां–

स्वास्थ्य, जल निगम,पशुपालन,कृषि,पी0डब्लू0डी0,गैर सरकारी संस्थाएं आदि मददगार हो सकते हैं

बाढ़ राहत के निए कार्य :–

– राहत कार्यों का संचालन बाढ़ चौकियों से किया जाएगा। बाढ़ चौकियों पर 24 घण्टे कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। पूर्वानुमानित आवश्यतक सामग्रियों का भण्डारण इन बाढ़ चौकियों पर होगा।
– बाढ़ राहत कार्यों के लिए नावें सबसे आवश्यक हैं। चिकित्सीय सहायता के लिए भी नावों की आवश्यकता होती है। अतः समस्त नावों को बाढ़ चौकियों से सम्बद्ध कर लिया जाएगा।
– आवश्यक राशन एवं पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए मंढलायुक्त एवं राहत आयुक्त को सूचित किया जाएगा।
– पानी के शुद्धीकरण के लिए क्लोरीन टेबलेट की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाएगी।
– खाद्य सामग्री एवं पानी के वितरण के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाएगा।

बाढ़ के दौरान आवश्यक सामग्री का आगणन :–

– बाढ़ से घिरने वाले क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर राहम सामग्री की आवश्यकता का आगणन कियाज जाएगा।
– राहत कार्यों के पर्यावेक्षण में लगे लोगों से रिपोर्ट लेकर तथा भौतिक निरीक्षण व हवाई सर्वेक्षण करके राहत कार्यों एवं और आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाएगा।
– बाढ़ राहत केन्द्रों में शरण लिए लोगों से मिलकर उनकी आवश्यकताओं का आंकलन किया जाएगा।
– प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्रियों का आंकलन करके उनकी उपलब्धता सुनिश्चत कराई जाएगी।

बाढ़ क्षति आंकलन :–

–राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए क्षति का आंकलन एक महत्वपूर्ण प्राक्रिया है। इसे लिए मुख्यतः दो प्रकार से किया जाएगा–व्यक्तिगत सम्पत्तियो की क्षति तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों की क्षति। दोनों के लिए अलग–अलग कार्यदल बनाए जाएंगे।
– क्षति के आंकलन में निम्नलिखित क्षतियों को सम्मिलित किया जाएगा।
– मृतकों एवं घायलों की संख्या
– आश्रय स्थलों एवं सार्वजनिक भवनों को क्षति
– फसल की क्षति
– पालतू पशुओं की मृत्यु
– आवश्यक संरचानाओं की क्षति
– क्षति का आंकलन भैतिक सत्यापन एवं निरीक्षण पर आधारित होगा। यह सत्यापन ग्राम पंचायत,विकास खण्ड या तहसील स्तर पर बनाई गई समितियों द्वारा किया जाएगा।
– क्षति का आंकलन प्राथमिकता के आधार पर तय स्थलों से ुरू किया जाएगा।

बाढ़ राहत एवं पुनर्वास :–

बाढ़ के उपरान्त राहत एवं पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे–

– समस्त सार्वजनिक संरचनाओं की मरम्मत जैसे सड़क,बांध,जलापूर्ति,विद्युत आपूर्ति इत्यादि।
– स्कूल भवनों व चिकित्सालयों की मरम्मत एवं उनका शीघ्र कार्य प्रारम्भ करना।
– प्रभावित लोगों को भवनों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता।
– ग्रामीण बैंकों द्वारा किसानों व कामगारों को ऋण वितरण जिससे वे अपना करोबार शीघ्र शुरू कर सकें।
– बीज एवं खाद आदि का वितरण जिससे कि प्रभावित लोग बाढ़ के कृषि कार्या प्रारम्भ कर सकें।

राहत कार्यों के लिए उपलब्ध नावों की सूची–राहत कार्यों के लिए उपलब्ध सरकारी एवं निजी नावों की तहसीलदार सूची संलग्न है।
राहत कार्यों के लिए स्थापित बाढ़ चौकियों की सूची– राहत कार्यों के लिए स्थापित बाढ़ चौकियों की तहसीलदार सूची संलग्न है।
बाढ़ चौकियों का विवरण –

राहत कार्य की मूलभूत इकाई के तहत पूरे जनपद में बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है। इसके प्रभारी नायब तहसीलदार/सहायक बी0डी0ओं0 हैं। ग्राम विकास अधिकारी, लेखाकार एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि तथा पशु धन विभाग के प्रतिनिधि बाढ़ चौकियों के सम्बद्ध हैं।
नौकाएं भी बाढ़ चौकियों से सम्बद्ध की गई हैं। प्रत्येक बाढ चौकी पर निम्नलिखित रजिस्टर होने चाहिए–

1. कैश बुक
2. स्टाक बुक
3. वितरण रजिस्टर
4. लाभार्थी की सूची
5. वाउचर गार्ड फाइल
6. स्थानीय क्रय रजिस्टर
7. नौकाओं की लांग–बुक एवं नादिक का मास्टर रोल
8. क्षतिग्रस्त मकानों का रजिस्टर
9. स्वास्थ्य सूचनाओं की रजिस्टर
10. पशुधन सम्बन्धी रजिस्टर
11. दैनिक बाढ़ रिपोर्ट रजिस्टर

राहत सामग्री पैकेज–मानक,सेवायें एवं सुविधायें आक्सफॉम एवं पर्वी उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी संगटनों द्वारा किये हुए अध्ययन के अनुसार राहत सामग्रियों का एक पैकेज तैयार किया गया है।,जो निम्नवत् है। राहत सामग्री के पैकेज निम्नलिखित स्थितियों के लिए बनायी गयी है।–

घिरे हुए गांव :–

इस स्थिति में गांव घिरे होते हैं एवं उनका सम्पर्क अन्य स्थानों से टूट जाता है,परन्तु घरों में पानी नहीं घुसा होता है,जनता घरों में फंसी होती है। इन्हे बाजार से खरीदनें वाली वस्तुओं की आवश्यकता होती है।

1. प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य
2. औषधियां
3. कीटनाशक (बाढ़ के उतरने के बाद प्रयोग के लिए)

जलमग्न घरों मे रहने वाली जनता–

घरों के अंदर या छत पर फंसे हुए लोगों को उपरोक्त सामान के अतिरिक्त निम्नलिखित वस्तुएं भी चाहिए–

4. खाद्य सामग्री
5. पीने का पानी
6. अस्थायी शौचालय
7. शिशु आहार

विस्थापित जनता –

ऐसे व्यक्ति,जो घर छोड़कर बंधों या ऊँची जगहों पर शरण लिए हुए हैं,उन्हे उपरोक्त के आलावा निम्न वस्तुओं की भी आवश्यकता है

8. तम्बू
9. पशुओं के लिए चारा

इन वस्तुओं के पैकेज की विवरण नीचे की तालिका में दी हुई है। ये पैकेज प्रति 1000 जनसंख्या (200 घर) के लिए 10 दिन के लिए है। नीचे की तालिका में परिवहन इत्यादि का प्रशासनिक खर्च नहीं जोड़ा गया है।

राहत पैकेज : आवश्यकता (रू0 में) प्रति 1000 व्यक्ति पर–

क्र0सं0	सामग्री	मूल्य (रू0)
1.	प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य	6650.00
2.	औषधियां	527.20
3.	कीटनाशक	1000.00
4.	खाद्य सामग्री	137240.00
5.	पीने योग्य पानी	160.00
6.	अस्थायी शौचालय	–
7.	शिशु	2000.00
8.	महिलाएं	1700.00
9.	पशु आहार	31780.00
	योग (10 दिन हेतु पैकेज)	
10.	अतिरिक्त एक मुश्त सहायता तम्बू के लिए	54000.00
	योग	235057.20

प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य–

क्र0सं0	वस्तुएं	उपयोगिता	प्रति घर आवश्कता	1000 व्यक्ति का 200 घरों के लिए कुल आवश्यकता	दर (प्रति रू0 में)	धनराशि(प्रति नग रू0 में)
1	माचिस की डिब्बी	चूल्हा आदि जलाने के लिए	2 नग	400 नग	0.75	300
2	मिट्टी का तेल	रोशनी के लिए	2 ली0	400 ली0	11.00	4400
3	नमक	भोज्य पदार्थों हेतु	1 किलो	200 किलो	6.00	1200
4	हरा पुदीना	डायरिया के रोकथाम	250 ग्राम	50 किलो	15.00	750
					योग	6650

औषधियां :–

क्र0सं0	सामग्री	ब्याख्या	प्रति व्यक्ति आवश्यक्ता	अनुमानित मरीज प्रति 1000	1000 व्यक्ति या 200 घरों के लिए अनुमानित आवश्यकता	दर (प्रति नग रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
1	ओ0 आर0 एस0	गैस्ट्रो	3	120	360	–	–
2	अल्बेन्डाजोल 200 मिग्रा (बच्चों के लिए)	केचुएं	1	20	20	9.00	180
3	अल्बेन्डाजोज 400 मिग्रा (बालिगों के निल)	केंचुए	1	35	35	1.90	280.70
4.	कोट्राइमोक्साजोल (मोली)	चर्मरोगों के लिए	10	70	700	40.10	280
						योग	527.20

उपरोक्त औषधियां डाक्टर के पर्चों के बिना भी अस्तेमाल की जा सकती है।

कीटनाशक :–(बाढ़ उतरने के बाद)

क्र. सं0	सामग्री	व्याख्या	प्रति घर आवश्यकता	1000 व्यक्ति 200 घरों पर आवश्यक मात्रा	दर (प्रति नग रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
1.	संक्रमण नाशक	बाढ़ उतरने के बाद छिड़काव के लिए	एक मुश्त	एक मुश्त	–	1000
2.	मिट्टी का तेल या डीजल	बहते हुए पानी पर छिड़कने के लिए	नगण्य	नगण्य	–	–
3.	चूना या बिल्चिंग पाउडर	घरों में तथा उसके आसपास छिड़काव के लिए	नगण्य	नगण्य	–	–
					योग	1000

कीटनाशकों की आवश्यकता बाढ़ उतरने के बाद जब लोग घरों में वापस आते हैं, तब पड़ती है। अधिकतर उपयोग में जाने वाले निर्मलिखित है–मैलेथियॉन 502 प्रतिशत 1 ली0 (रू0 125)20 घरों के लिए पर्याप्त है। अतः 200 घरों के लिए कुल 1000 रू0 खर्च होगा।

खाद्य सामग्री :–

क्र0सं0	सामग्री :–	ब्याख्या	प्रति घर आवश्यकता	1000 व्यक्ति 200 घरों पर आवश्यकता मात्रा	दर (प्रति नग रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
ऐसी आकस्मिकता जहां भोजन न पकाया जा सकता हो–						
1.	चिउड़ा	वैकल्पिक व्यवस्था में लाई	2.5 किलो0	2500 किलो0	25	62500
2.	सूखी सब्जी		1 किलो0	1000 किलो	12	12000
3.	सत्तू		1 किलो0	1000 किलो0	22	22000
जहां भोजन बनाना सम्भव हो						
1	चावल		2.5 किलो0	2500 किलो	10	2500
2.	आलू		2.5 किलो0	2500 किलो	5	12500
अतिरिक्त खाद्य कार्यक्रम (गर्भवती महिलाओं के लिए.40 महिला प्रति 1000 जनसंख्या की दर से)						
1.	फल	केला 4 प्रतिदिन	40	1600	1	1600
2.	दूध का पाउडर		500 ग्राम	20 कि0ग्रा0	80	1600
3.	बच्चा पैदा होने के उपकरण	40 गर्भवती महिलाएं 4बच्चों का जन्म प्रतिमाह अनुमानित		4	10	40
					योग	3240
					महायोग	137240

गर्भवती महिलाओं के निकटस्थ बाढ़ राहत क्षेत्रों में उनके रिश्तेदारों के यहां भेज देना वांछित होगा।

शुद्ध पेयजल

क्र0सं0	सामग्री :–	ब्याख्या	प्रति घर आवश्यकता	1000 ब्यक्ति 200 घरों पर आवश्यकता मात्रा	दर (प्रति नग रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
1.	क्लोरीन की गोलियां	एक गोली प्रति 20 ली0 पानी शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है।	10 गोली	200	80.00 रू0 प्रति 1000 गोली	160

क्लोरीन की गोलियां सरकारी विभागों में बिना मूल्य उपलब्ध है। परन्तु इनकी उपलब्धता को सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है। पीने का पानी बंद बोतलों में भी वितरित किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार उसकी खरीद भी किया जा सकता है।

अस्थायी शौचालय :–

छोटे गड्डों पर अस्थायी ौचालयों का निर्माण किया जा सकता है। किसी भी उपलब्ध सुनसान जगह पर चार किनारे बांस गाड़ कर घेरा/छाजन डालकर इनका निर्माण किया जा सकता है। महिलाओं के लिए यह अति आवश्यक है। गड्ढ़े उपलब्ध साधारण औजारों जैसे–फावड़ा,खुरपी आदि से खोदे जा सकते है। यह निग्न प्रकार के होंगे–

- ❖ गड्डे 30 सेमी0 चौड़े एवं 90–150 गहरे होगे।
- ❖ इसकी लम्बाई इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करता हैः 3–3–5 मीटर प्रति 100 ब्यक्ति।
- ❖ महिला एवं पुरू ाों के लिए अलग–अलग गडढे होने चाहिए।
- ❖ गड्ढों में से निकाली हुई मिट्टी उनके बगल में ही रहने देना चाहिए एवं फावड़ा तथा खुरपी भी वहीं रहने देना चाहिए। ब्यवहार करने वाले प्रत्येक ब्यक्ति को निर्देश देना होगा। कि ब्यवहारोपरान्त मिटटी को गड्ढे में पुनः डाल दें । इन निर्देशों का उल्लंधन अवश्य होगा अतः सत्त निरीक्षण आवश्यक है।
- ❖ गड्ढों के दानों तरफ लकड़ी के पटरे पैर रखने के लिए आवश्यक हो सकते है।
- ❖ चट्टी, टिन की चादर या पुआल से आड़ बनायी जा सकती है।
- ❖ पानी का व्यवस्था आवश्यक है।

गड्ढो वाले शौचालय कामचलाऊ ब्यवस्था है, जब गड्ढे जमीन की सतह से 30 सेमी0नीचे तक रह जाय। उसमें मिट्टी भर कर उसके ऊपर भी मिट्टी की ढेरी बना कर गड्ढों को कायदे से पाट देना चाहिए। आवश्यकतानुसार नये गड्ढे खोद लेना चाहिए एवं स्वास्थ्यकर्मियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस्तेमाल किये गये गड्ढे पाट दिये गये है।

शिशु– :–

क्र.सं0	सामग्री	व्याख्या	प्रति घर आवश्यकता	1000 ब्यक्ति 200 घरों पर आवश्यक मात्रा	दर (प्रति नग रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
1.	सूखा दूध पाउडर	50 बच्चे प्रति 1000 जनसंख्या 50 ग्राम प्रतिदिन	500 ग्रा	25 कि0ग्रा0	80.00	2000.00

बच्चों की भूलभूत आवश्यकता दूध है। मिल्क पाउडर की आपूर्ति शुद्ध जल के साथ करनी चाहिए। क्योकि प्रदूषित पानी से दूध भी प्रदूषित हो जायेगा एवं गंभीर स्वास्थ्य समस्यायें उत्पन्न हो सकती है।

गर्भवती एवं धात्री महिलाएं :–

क्र.सं0	सामग्री	व्याख्या	प्रति घर आवश्य कता	1000 ब्यक्ति 200 घरों पर आवश्यक मात्रा	दर (प्रति नग रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
1.	शुद्धिकृत रूई	170 महिलाएं	100 ग्रा0	17 कि0ग्रा0	100.00	1700.00

तम्बू :–

क्र. सं0	सामग्री	व्याख्या	प्रति घर आवश्यक ता	1000 ब्यक्ति 200 घरों पर आवश्यक मात्रा	दर (प्रति नग रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
1.	प्लास्टिक चादर	170 महिलाएं	10 मी0	2000 मी0	20	40000
2.	रस्सी		20 मी0	4000	3	12000
3.	इस्तेमाल किये गये गाड़ियो के चक्को के ट्यूब	इनमें हवा भरकर बाढ़ में सुरक्षित आवागमन किया जा सकता है।	प्रमि 10 घर पर 1 ट्यूब	20	100	200
योग						54000

पशु आहार :– इसकी गणना 350 जानवर प्रति 1000 जनसंख्या पर की गई है। जानवरों में गाय,बैल एवं भैस को मुख्य जानवर माना गया है।

क्र.सं0	सामग्री	व्याख्या	प्रति घर आवश्यकता	1000 व्यक्ति 200 घरों पर आवश्यक मात्रा	दर (प्रति नग रू0 में)
1.	दर्रा	यह जानवरों की जीवन सुरक्षा के लिए आवश्यक है। प्रति जानवर 5 किलो प्रति 10 दिन 350	1750 कि0ग्र0	12	21000.00
2.	क्लोरीन की गोलियां	1 गोली प्रति जानवर	3500 गोलियां	80.00/एक हजार	280.00
3.	चावल की ब्रांन	1 किलो0 प्रति जानवर प्रतिदिन ग 10 दिन ग 350 जानवर	35 कुन्तल	300	10500.00
				योग	31780.00

ग्रामीणों को भूसे के भण्डारण हेतु प्रोत्याहित करना चाहिए। जानवरों को प्रदूषित पानी पीने से रोकना चाहिए। भूसे को प्लास्टिक चादर से ढक देना चाहिए,ताकि बरसात के पानी में भीग कर सड़ने न पावें।

बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की व्यवस्था :–

जब बाढ के समय किसी गांव की आबादी कटान से प्रभावित हो और वैकिल्पिक व्यवस्था तुरन्त करना आवश्यक हो तो एक जगह पर रहने के कारण उस जगह से लोगों का लगाव हो जाता है, जिसके कारण लोग पुरानी जगह को चाह कर भी छोड़ नहीं पाते परन्तु कटान की स्थिति में कटान वाले आबादी को अन्यत्र बसाना/विस्थापित करना मजबूरी/विवशता होती है, जैसा कि वर्ष 1998 की बाढ़ से महसूस हुआ कि ग्रामवासी को उनके घरों और सम्पत्तियों की पर्याप्त सुरक्षा के आश्वासन प्रदान करने के बावजूद भी गांव से बाहर निकलने को तैयार नहीं थें। प्रभावित गांवों के पुनर्वास हेतु विभिन्न कानूनों के अधीन निग्न श्रोतों से भी भूमि उपलब्ध हो सकती है। जिसका विवरण निग्नवत् है–

1. गांव सभा की उपलब्ध भूमि पुनर्ग्रहण उ0प्र0 जमीदारी उन्मूलन धिनियम की धारा–117 के अधीन प्रयोग में लाकर किया जा सकता है।
2. सीलिंग में सरप्लस घोषित की गयी भूमि को अधिकतम् जोत सीमा आरोप अधिनियम,1960 की धारा–25 के अन्तर्गत प्रस्ताव शासन को प्रेषित करके किया जा सकता है।
3. पुर्नवास हेतु उ0प्र0 एक्यूजीशन आफ प्रापर्टी एक्ट 1952 (बाढ़ सहायता) तथा तदनुसार संशोधित 1964 परिशिष्ट 10 तथा एक्यूजिशन आफ लैण्ड 1948 ।
4. यू0पी0 एक्ट नं0.39 ऑफ 1948 परिशिष्ट –1
5. उ0प्र0 गृह स्थल (बाड़ पीड़ित क्षेत्र) अस्थायी अधिकार अधिनियम संख्या– 3 सन् 1958.
6. यू0पी0 रूरल डेवलपमेण्ट (रिक्यूजिशन आफ लैण्ड)एक्ट–1948 की धारा –3 के अधीन नालियां खोदनें, पानी के निकास का प्रबन्ध करने तथा सार्वजनिक उद्देश्य हेतु भूमि अस्थायी तौर पर तुरन्त लेना, इस अधिनियम के अधीन तहसीलदार/ नायब तहसीलदार 24 घण्टे की सूचना पर किसी की भी भूमि जनहित में ले सकते हैं।
7. वन भूमि की आवश्यकता पड़ने पर शासनादेश सं0–21(13) 68/78.8.81 के अनुसार जिलाधिकारी/वनाधिकारियों को भूमि लेने हेतु प्रस्ताव की व्यवस्था है।

नावों की चलान व्यवस्था एवं भुगतान :–

बाढ़ में जिस दिन से बचाव तथा राहत कार्य हेतु नाव प्रयुक्त की जायेगी, उसी दिन से उसकी एक लागबुक बनायी जायेगी,जिसमें नाव मालिक का नाम, चालक का नाम तथा जिस गांव में नाव लगाई जायेगी उस गांव का नाम अंकित रहेगा। उप जिलाधिकारी के अनुमति के बिना कोई भी नाव नहीं लगाई जायेगी नावों का लागबुक उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत की जायेगी, सम्बन्धित लेखपाल इस नाव के प्रभारी होगें जो नावों के प्रतिदिन चलने के विषय में लागबुक भरेगें व अपना हस्ताक्षर करेंगें। नाव में एक लाल झण्डी भी लगायी जायेगी ताकि गांव वाले लाल झण्डी को देखकर सहायता की मांग कर सकें। लागबुक समाप्त होने पर उसका सत्यापन उप जिलाधिकारी करेंगें।

नावों के किराये का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर किया जायेगा। जो लागबुक पर आधारित होगा । प्रभारी अधिकारी बाढ़ चौकी अपने क्षेत्र में लगी नावों के किराये के भुगतान हेतु जिम्मेदार होंगें । लागबुक में भी साप्ताहिक भुगातन का विवरण लेखपाल द्वारा अंकित किया जायेगा।

नावों का प्रयोग सामान्य आवागमन हेतु नहीं किया जायेगा। नदियों का जल स्तर घटने/नावों के चलने की स्थिति के न रहने पर नावों का प्रयोग बन्द कर दिया जायेगा। प्रतिदिन लगाई गई / उपभोग में लाई गई नावों का ग्रामवार विवरण संबंधित तहसील के तहसीलदार/उप जिलाधिकारी जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट को उपलब्ध करायेंगे।

जहां पर नाव प्राप्त करने में कठिनाई होगी वहां पर उप जिलाधिकारी, उ0प्र0 बाढ़ सम्बन्धी आपात कालीन अधिकार खाली कराने और अधिग्रहित करने का संशोधित अधिनियम 1944 की धारा–195 का प्रयोग करेंगे।

पुलिस सहायता :–

पुलिस विभाग निग्न प्रकार से राहत कार्यों में मदद करेगा–

1. बायरलेस के माध्यम से नदियों में जल स्तर घटने/बढ़ने तथा तहसीलों से प्राप्त बाढ़ सम्बन्धी सूचनाओं का जिला मुख्यालय पर प्रेषण।
2. बाढ़ की दशा में कटान वाले गांव को खाली कराया जाना तथा कटान की स्थिति में शान्ति ब्यवस्था बनाये रखना तथा सामान्य तथा राहत शिविरों बाढ़ शरणार्थियों और बाढ़ चौकियों पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखा जाना।
3. सम्बन्धित थानों के अन्तर्गत पड़ने वाले बॉधों की सुरक्षा व्यवस्था व समीपवर्ती गांव के सम्बन्ध में सूचना देना।
4. संवेदनशील स्थलों पर सिंचाई विभाग/ड्रेनेज प्रखण्ड/ उप जिलाधिकारी की मांग कर वायरलेस सेट लगवाये जाने की व्यवस्था करना।

पी0ए0सी0 सहायता :–

कभी–कभी अतिवृष्टि तथा अचानक बाढ़ आ जाने पर स्थिति इतनी गम्भीर हो जाती है कि जिला प्रशासन द्वारा सीमित साधनों से स्थिति नियंत्रित करना सम्भव नहीं हो पाता। ऐसी दशा में जन जीवन तथा उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए पी0ए0सी0,बस्ती की 26वी. वाहिनी की दो कम्पनी बाढ़ के समय बचाव तथा राहत कार्य में लग जाती है। बाढ की स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने की आशंका पर पी0ए0सी0 सहायता हेतु मण्डलायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक,बस्ती से मॉग की जायेगी।

सैनिक सहायता :–

पी0ए0सी0 के सहायता के उपरान्त भी बाढ़ स्थिति पर नियंत्रण न होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा सेना में स्टेशन कमाण्डर जी0आर0डी0 या सब एरिया हेडक्वार्टर , फैजाबाद से सहायता की मांग की जायेगी। साथ ही साथ इसकी सूचना मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल बस्ती और शासन को भी देनी होगी।

वायु सेना की आवश्यकता पड़ने पर एक अनौपचारिक पत्र एअर कमाण्डिंग आफिसर को जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित किया जायेगा। जिसमें प्रभावित स्थल के भौगोलिक स्थित का वर्णन होगा। वायुसेना की हेलीकाप्टर/हवाई सहायता प्राप्त करने हेतु वायु सेना के सेण्ट्रल कमान के एडवान्स हेडक्वार्टर तथा बमरौली इलाहाबाद से सम्पर्क स्थापित करना होगा । और हेलीकाप्टर के लैण्ड करने हेतु नियम क्वार्डिनेट्स,एकत्रित सामग्री जो प्रभावितों में राहम वितरण हेतु की जायेगी, को उठाने हेतु की सूचना विंग कमाण्डर को प्रेषित करनी पड़ेगी। हेलीकाप्टर रूके रहने/खाने आदि की व्यवस्था जनपद द्वारा की जायेगी तथा ईधन के प्रयोग हेतु वायुसेना से सम्पर्क पड़ेगा।

बाढ़ राहत कार्यो में सेना से मॉग किया जाने का पारूप आगे संलग्न है। सैनिक अधिकारियों को जिले पर पहुचाने के लिए पथ'प्रदर्शक की आवश्यकता होगी ताकि वे आपदा से प्रभावित जनपद के क्षेत्रों में सुगमता पूर्वेक पहुॅच सके। इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक तहसील के उपजिलाधिकारी चार–चार गाइडों का चयन कर पूर्वाभ्यास करा दें अैर सेना के अधिकारी को गन्तव्य स्थान पर पहुॅचने हेतु जनपद का मानचित उपलब्ध कराया जायेगा। जनपद में बहने वाली नदियों का जल स्तर चेतावनी विन्दु से ऊपर होने लगे और प्रवृत्ति बढ़ाव की और अग्रसर हो तो जल स्तर के सामान्य होने तक सूचना शासन व क्षेत्र के सम्बन्धित सैनिक अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। सेना के नावों को सेना के डिपों से बाढ़ स्थल तक लाने व जाने के लिए सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी पूर्व में ट्रक मालिकों से बात कर लेंगे ताकि अल्प सूचना पर ही सेना के नाव लाने की व्यवस्था की जा सके।

पेय जल :–

बाढ़ के समय सबसे अधिक समस्या पेयजल की होती है क्योंकि बाढ़ के पानी से कुॅओ का पानी दूषित हो जाता है, बाढ से प्रभावित सभी गांवों में तथा उन ऊॅचे स्थलों पर जहां बाढ़ के समय गांव के लोग शरण लेते है वहां पर इंडियामार्का–दो हैण्डपम्प लगवाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम को निर्देशित किया गया है। बाढ़ के समय नागरीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की शुद्धता हेतु नियमित प्रयासों की आवश्यकता है। पेयजल के ओवर हेड टैंको की शुधता हेतु नियमित रूप से साफ सफाई कराते हुए पेयजल का क्लोरिनशन आवश्यक मात्रा तक सुनिश्चित किया जाय। इसके निए डोजरों को क्रियाशील रखा जाय तथा जो डोजर खराब हो, उन्हें तत्काल ठीक करा लिया जाय। पेयजल में क्लोरीन की उपलब्धता हेतु नियमित रूप से ओ0टी0 टेस्ट विभिन्न स्थानों से एकत्रित किये जाय। जिन स्थनों पर पेयजल के प्रदूषित होने / ओ0टी0 टेस्ट ऋणात्मक होने की सम्भावना हो, ऐसे स्थानों से पेयजल के नमूने एकत्रित कर परीक्षण हेतु निदेशालय स्थिति जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला/राज्य स्वास्थ्य संस्थान में भेजें जाय। पेयजल क्लोरिनशन सुनिश्चत करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी/जलनिगम का एक प्रतिनिधि संयुक्त रूप से आपूर्ति किये जा रहे विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से ओ0टी0 टेस्ट करेंगें और ओ0टी0टेस्ट के परिणाम को जिला अधिकारी की संज्ञानता में लायेंगे। आ0टी0टेस्ट ऋणत्मक/क्लोरीनेशन का स्तर कम होने पर यथोचित कार्यवाही दायित्वों का निर्वहन न करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के प्रति कार्यवाही की जायेगी।

जन स्वास्थ्य व पशु स्वास्थ्य :–

चिकित्सा कर्मियों/पशुपालन विभागों के कर्मियों द्वारा 3 चरणों में योजना कार्यान्वित कर सम्पादित की जायेगी।

1. बाढ़ के तैयारी के पूर्व
2. बाढ़ के समय कार्य
3. बाढ़ के उपरान्त महामारियों की रोकथाम

जिले मे स्थापित बाढ़ चौकियों पर चिकित्सा कर्मियों की तैनाती की जायेगी,जिस पर पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाओं, विसंक्रमण,सामग्री,जीवन रक्षक दवाएं,संक्रामक रोगों से बचाव के दवाएं ए.टी स्नैकवनेन,वैक्सीन आदि की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी। कि बाढ़ के समय संचार व यातायात व्यवस्था का मार्ग एक माह तक अवरूद्ध होने पर भी जन स्वस्थ्य के परीक्षण व उपचार में दवाओं की कोई कमी न आने पाये। पशुओं में टीककरण फिनायल,ए.टीपाल,एलवे.डाजाल आक्सों क्लोनाइड, ट्राईक्वे. डाजाल लिक्विड एवं ब्रोलस तथा ए.टीसर्रा औषधि भी पर्याप्त मात्रा में एक माह तक उपलब्ध रहें। पशुओं में चार आदि की समस्या का निराकरण एग्रो पुष्टहार से तथा जिला जिला कृषि अधिकारी से सहकारी फर्म पर उपलब्ध भूसे की स्टाक को सुरक्षित करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों या सामुदायिक विकास केन्द्रों पर कोई भी चिकित्साधिकारी या पैरा मेडिकल स्टाफ अनुपस्थित न रहे,उनके अनुपस्थित को मुख्य चिकित्साधिकारी संबंधित उच्च अधिकारियों को अवगत करायेंगें। यदि कोई चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सी0सी0ए0 रूल्स में प्रावधानित देने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी और वे यथाविधि दण्डित किये जायेंगें। अनुशासनिक कार्यवाही उ0प्र0 पनिश्मैंट एण्ड अपील रूल्स फार सब आर्डिनेट्स के प्रावधानों के अन्तर्गत पैरामेडिकल स्टाफ एवं फर्तासिस्टों आदि के विरूद्ध भी की जायेगी।

बाढ़ की स्थिति आने पर सभी संवेदनशील क्षेत्रों में चिकित्सा/पशुचिकित्सा विभाग का पैरा मेडिकल स्टाफ / चिकित्साधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी भी तैनात किये जाय।

यदि कोई गांव का सम्पर्क टूट जाता है/कट जाता है तो वहां भेजे जाने वाली चिकित्सको की टीम में पशु चिकित्साधिकारी का समन्वय मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सुनिश्चित करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संक्रामक रोगों से बचाव/नियन्त्रण हेतु पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता भेजे जाने वाली टीमों के पास हो।

समाजसेवी संस्थाएं :–

बाढ़ से बचाव तथा राहत कार्य हेतु रेडक्रास व अन्य स्वैच्छिक संस्थाएं की विशेष आवश्यकता होती है। ब्यापार मण्डल से भी बाढ़ सें बचाव तथा राहत कार्यों में पर्याप्त सहयोग मिल सकता है। जिला परियोजना अधिकारी (आपदा प्रबन्धन) को जनपद में उपलब्ध स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है, जो बाढ़ से बचाव से बचाव तथा राहत कार्यों में स्वैच्छिक संस्थाओं, रेडक्रास आदि के मध्य एकरूपता लाने व विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने हेतु प्रयास करेंगे। सभी स्वैच्छिक संस्थाएं जिला परियोजना अधिकारी (आपदा प्रबन्धक) के निर्देशन में ही कार्य करेंगी।

जनता का मनोबल :–

बाढ़ प्रभावित व्यक्तियो को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के साथ–साथ उनका मनोबल बनाये रखना भी आवश्यक है ताकि लोग बाढ़ से मुकाबला करने हेतु स्वयं को तैयार कर सके। निराशा के कारण अव्यवस्था व ब्यावत असंतोष से निराशा उत्पन्न हो सकती है, इसके निराकरण हेतु स्काउट आग्रेनाईजेशन व रेडक्रास व अन्य स्वैच्छिक संस्थाएं प्रमुख बाढ़ग्रस्त स्थानों पर क्रियाशील रहने से लोगों के मनोबल को प्रोत्साहित करने में सार्थक होगी जिसके कारण लोगों की विचार धारा में परिवर्तन होगा और वे निर्भय पूर्वक बाढ़ से बचाव हेतु दृढ़ विश्वास संरक्षित करते हुए सामना कर सकते हैं आपदा के समय प्रभावितों की रक्षा के लिए आत्म विश्वास तथा साहस प्रदान करने हेतु प्रत्येक स्थल से प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।

सिचाई <u>निर्माण/ड्रेनेज</u> खंड विभाग :–

- ❖ सुरक्षित स्थानों का चयन ।
- ❖ सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन।
- ❖ वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ❖ नागरिक सुरक्षा विभाग को भी पूरी तरह सतर्क करने के निर्देश जारी करना एवं पी0ए0सी0 वाहिनी को आपात कालीन स्थित में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने का निर्देश देना।
- ❖ बाधों के पानी से उत्पन बाढ़ की स्थिति के अरितिक्त अति वृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।
- ❖ अति वृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार करना।

<u>संरचनात्मक उपाय</u> :–

- ❖ जलाशयो की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्रकृतिक आपदा से हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
- ❖ प्राकृतिक आपदा में आने वाली रेंल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलो के निचे की मिट्टी निकालना ।
- ❖ बाढ संभावित क्षेत्र में से पानी निकालनें हेतु निकास व्यवस्था को सुगम बनाना।
- ❖ मानसून से पहले सभी नदियों एवं ड्रेन से पानी निकालना तथा उपवाह तंत्र का निरीक्षण हेतु पंप हाउस की मरम्मत करवाना।
- ❖ नदीके बाधों में छिद्रान्वेशी एवं सुरक्षित क्षेत्र की पहचान करना।
- ❖ तटबंध पर बनाये गये स्थानीय बाधों को वर्षा ऋत के शुरू होने से पहले हटा देना।

<u>गैर संरचनात्मक उपाय</u> :–

पारम्परिक इंजीनियरिंग विधियो से पूर्णरूप से बाढ़ नियत्रण नहीं की ता सकती है परन्तु जन सहभागिता से बाढ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- ❖ बाढ़ के मैदान का चिन्हीकरण व भू–उपयोग को नियन्त्रण करना।
- ❖ बाढ़ का पुर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- ❖ बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
- ❖ संवेदनशील क्षेत्रों में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- ❖ बाढ के प्रभाव से बचने के लिए ''क्या करें,क्या न करें'' का विभन्न माध्यमों जैसे रेडियों अखबार,दूरदर्शन तथा बुकलेट आदि के माध्यम से लोगों तक पहुंचना।
- ❖ भू–उपयोग के नियमों के माध्यम से बाढ़ नियन्त्रण करके जान–माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
- ❖ आपदा संभावित क्षेत्र में दूर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा संबंध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जन संचया घनत्व निर्धारित करना चाहिए तथा आकर पहले से लोग बसे हुए है तो भू–उपयोग नियंत्रण करके नियमों को पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों में स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव परिलक्षित होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनाना/उच्च बाढ़ संभावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिनए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिनए भूमि आरक्षित करना।
- ❖ हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ संभावित क्षेत्र में प्रयोग पर रोक लगाना तथा मिट्टी के घर बनाने हेतु केवल उन क्षेत्रों में अनुमति देना जहां पर बाढ नियंत्रण के उपाय कर लिये गये हैं। बचाव हेतु निकास मार्ग का चयन स्थानों का चयन पहले ही निर्धारित करना।

चिकित्सा विभाग :–

मुख्य चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है तथा इसके लिए वे मुख्य रूप से जबावदेह होते है।

1. चिकित्सा अधिकारी
2. स्वास्थ्य निरीक्षक
3. नर्स
4. वार्ड ब्याय
5. वाहन चालक

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही यह दल तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी एवं गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार के पश्चात निकटवर्ती अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करेगी। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर जिले के सभी चिकित्साधिकारियों व पैरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय में रहने हेतु आदेश दिया जाना चाहिए। बगैर सूचना मुख्यालय छोड़ने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

नलकूप/जलनिगम विभाग :–

- ❖ संकट काल मे विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू करना।
- ❖ पेयजल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- ❖ समस्त अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान मुख्यालय में ही उपस्थित रहने के निर्देश देना।

जिला आपूर्ति विभाग :–

जिला आपूर्ति विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा कैरोसिंन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा। इसके अलावा टेट, तारपोलीन, पॉलीथिन इत्यादि का भी प्रबंध करेगा।

जिला पशु चिकित्सा विभाग :–

- ❖ संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में संक्रामक रोग,कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के संप्रेसण एवं नियन्त्रण हेतु मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मुख्य रूप से जिम्मेदारी होगें।
- ❖ यह विभाग आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु मोबाईल टीम,वैक्सीन एवं विकृतिकयों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधियां उपलब्ध करायेगी।
- ❖ प्रखंड मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी प्रखंड स्तर के प्रभारी के रूप में तैनात रहेंगे।

विद्युत विभाग :–

जिले में विद्युत संरचनात्मक ढांचा रख–रखाद एवं सही संचालन हेतु पूर्ण ब्यवस्था है फिर भी यदा–कदा आंधी,तूफान,भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकुतिक घटनाओं के कारण विजली के तार टूटना या अन्य तरह की विद्युत जनित दुर्घटनायें घटित होना स्वाभाविक है।

- ❖ वृहत स्तर पवर आपदा नियन्त्रण कक्ष स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियंता स्तर लाइनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिये जाने तथा सुचारात्मक कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- ❖ आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश देना।

पुलिस विभाग :–

- ❖ आपदा के वक्त पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगें
- ❖ आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कंट्रोल रूम किया जायेगा।
- ❖ कंट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरेलेस,टेलीफोन तथा अरक्षी बल के परिवहन हेतु छोटे–बड़े वाहन दुरूस्त स्थिति मं रखना।
- ❖ कंट्रोल रूम में 24 घंटे की सेवायें कार्यरत रहेंगी।
- ❖ पुलिस बल लाठी, ढाल, अश्रु गैस,गन हथियार से सुसज्जित होगें।

एन.सी.सी.

- ❖ आपदा के समय एन.सी.सी.कैडेट व संबंधित स्टाफ घर–घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने व जान–जीवन को सामान्य बनाने में मदद करेंगे।

अग्निशमन विभाग :–

जिला मुख्यालय में स्थित अग्निशमन केन्द्र को आग की स्थिति से निपटने के लिए 101 पर तुरंत फोन किया जा सकता है। इसके अलग पुलिस नियंत्रण कक्ष को 100 पर फोन कर आवश्यक मदद मांगी जा सकती है। अग्निशमन यंत्रों को कार्यरत रखना इस विभाग की जिम्मेदारी होगी।

नगर निगम :–

- ❖ नालों की सफाई का कार्य करवाना ।
- ❖ बहाव क्षेत्र में अमिक्रमण हटाना।
- ❖ ट्रेक्टर/ट्राली तथा पंपसेटों की उपलब्धता कराना।

गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान :–

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से भी प्रत्येक स्तर पर मदद ली जा सकती है। स्वास्थ्य,राहत वितरण,सूचना प्रसारण आदि कार्यों में इनकी मदद अपेक्षित है।

8.1 भूकम्प :–

भूकंप पृथ्वी के आंतरिक असंतुलन,भ्रंशन,भूपटल का संकुचन तथा प्लेट विवर्तनिकी कारणों से आता है। सामान्य भूगर्भिय चट्टानों के विक्षोम के स्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन को भूकंप कहते हैं। जिस प्रकार शांत जल में पत्थर का टूकड़ा फेंकने पर आधात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उठती है,ठीक उसी प्रकार भूगर्मिक चट्टानों में विक्षोम केन्द्र के चारों ओर की भू–तरंगे प्रभावित होती है।

अधिकांशतः भूकंप भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी.की गहराई के अंदर होते है। इस उद्‌गम केन्द्र के ठीक उपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते है।

भूकंप एक आपदा के रूपमें प्रलकारी तबाही मचाता है। भूकंप अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूरखलन,बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भकंप के कारण जहां तक चारों ओर प्राकृतिक परिदृ य विकृत होता है वही दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को क्षति पहुचाती है जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही संभव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्र के विकास पर भी परिलक्ष्ति होता है।

26 जनवरी 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर माप का भूकंप आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकंप था। जिसका केन्द्र भुज से 60 कि.मी. की दूरी पर था। इस भूकंप से लगभग 20.000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 50 हजार से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रूपये की संपत्ति नष्ट हो गयी। इस भूकंप से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 सिद्धार्थनगर जिले में भूकंप से व्यापक क्षति का आंकड़ा सरकारी तौर पर उपलब्ध नही है।

भूकंप के कारण :–

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में संकुचन
- जलीय भार
- भूपटल मं संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकंप की तीव्रता :–

विल्डिंग मेटेरियल एंड टेकनोलॉजी प्रमोशन काउंसिल एटलस के अनुसार सिस्मिक जोन का नक्शा तैयार कर इसे पांच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतःसंशोधित मक्ररी मापक (डैझ) पर प्टण्ट तीव्रता वाले भूकंप 7700 वर्ग कि.मी.में महसूस होते है। जबकि IX-X तीव्रता वाले भूकंप 500,000 वर्ग कि.मी.क्षेत्र में महसूस किये जाते है।

क्षेत्र ट :– इस क्षेत्र से संशोधित मर्करी मापक के अनुसार प या इससे अधिक तीव्रता का भूकंप संभावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान संभावित क्षेत्र भी कहा जा सकता है।

क्षेत्र IV :–इस क्षेत्र मं सेशोधित मर्करी मापक पर MM-VIl या इससे अधिक तीव्रता का भूकंप संभावित क्षेत्र भी कहते है।

क्षेत्र III :–इस क्षेत्र में मक्ररी मापक MM-VII की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। इसे मध्यम नुकसान संभावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

क्षेत्र II :–इस क्षेत्र में संभावित तीव्रता MM-VI है। इसे संशोधित मरकरी मापक पर निम्न नुकसान संभावित क्षेत्र भी कहते है।

क्षेत्र I :–इस क्षेत्र के लिए संशोधित मर्क्री स्केल पर MM-V या इससे भी कम तीव्रता का भूकंप संभावित है। इसे अत्यधित नुकसान संभावित क्षेत्र भी कहते है।

क्र.सं.	भूकंप की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण/भूकंपों का प्रभाव	रिक्टर मापक परि.णाम
1.	यांत्रिक	केवल कुछ लेखा यंत्र से भूकंप का अनुभव होता है।	0.0
2.	क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव होता है।	3.5
3.	अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव होता है।	4.2
4.	साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव होता है तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं में कंपन होता है।	4.3
5.	टार्द्रबल	सभी को अनुभव सोये, व्यक्ति जाग जाते है।	4.8
6.	प्रबल	सभी लटकी वस्तुएं स्वतः हिलने लगती है।	4.09–5.4
7.	अतिबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकंप का आतंक छा जाता है।	5.5–6.1
8.	विनाशात्मक	डॅची इमारते गिर जाती है मकानों में दरार पड़ जाती है।	6.2
9.	विनस्टकारी	मकान धॅस जाते है व भूमि में दरारे पड़ जाती है। ढ़ालों में भूस्खलन होता है।	6.2–6.9
10.	सर्वनाशी	धरातल में लंबी दरारें पड़ जाती है। ढ़ालों में भूस्खलन होता है।	7.0–7.3
11.	अमिविनाशी	पुल,रेलवे लाईन टूट जाती है। महान भूस्खलन व नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4–8.1
12.	प्रलयकारी	सर्वनाश,धरातलीय पदार्थ हवा में उछलनें लगते है। धरातल में धॅसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते है।	8.1 से अधिक

सिद्धार्थनगर जिला को भूकंपीय खंडों की भारतीय मानक स्पेसिफिकेशन अंतर्गत खंड में रखा गया है।

भूकंप न्यूनीकरण के लिए कार्य योजना :–भूकंप की स्थिति में मुख्य विभागों की न्यूनीकरण कार्य योजना निम्नलिखित रहेगी।

जिला प्रशासन :–

- ❖ सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- ❖ आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- ❖ सहायता सामग्री,भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- ❖ कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- ❖ प्रमाणित सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल,एन.सी.सी. व गैर सरकारी संस्था :–

- ❖ स्वयं सेवियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ❖ मलवे में फंसे लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- ❖ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

पुलिस प्रशासन :–

- ❖ कानून व व्यवस्था को बनाए रखना।
- ❖ वयरलेस आदि से सूचना पहुचाना।
- ❖ संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था

लोक निर्माण विभाग :–

- ❖ मलवा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- ❖ राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- ❖ अन्य आपदा संभावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवानें में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग :–

- ❖ आपदा स्थल पर तुरंत चिकित्सा शिविर लगाना।
- ❖ लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- ❖ बुरी तरह से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- ❖ चिकित्सा,पैरा मेडिकल स्टाफ को दवाईयों उपलब्ध कराना।

अग्निशमन केन्द्र,खाद्य एवं आपूर्ति विभाग,स्वयंसेवी संगठन,विद्युत विभाग,दूरसंचार विभाग,सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत कार्य करेगें। क्या करें,क्या न करें?

भूकंप पूर्व :–

- ❖ हमेशा यह ध्यान चाहिए कि भूकंप फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर,विद्युत उपकरण आदि से होती है। भूमि की क्षति से नहीं होती है।
- ❖ अलमारियों पर सिर से उंचे स्थानों पर भारी वस्तुओं को न रखें । भारी गमलों वाले पौधा को झुलने हेतु नहीं लटकायें। किताब रखने की अलमारी,कैबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलटकर गिर सकती है।
- ❖ खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती है उन्हें विस्तर से दूर रखें।विस्तर के ऊपर दर्पण,पिक्चर फेम आदि नहीं लटकायें।
- ❖ ऐसे उपकरण जो गैस/विद्युत लाईन को क्षति पहुचा सकते है उन्हें मजबूती प्रदान करें।
- ❖ लटकने वाले बिजली के सामान मजबूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- ❖ आपातकालीन सामग्री (जल,दीर्घ अवधि तक रहने वाला व तुरंत तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट,दवाईयों आग बुझानें के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा गाड़ी में सुगम पहुच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात :–

- ❖ शांत रहें घबराए नहीं।
- ❖ कांच खिड़की, आलमारी, कैबिनेट एवं बाहरी दरवाजे से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज, पलंग आदि अथवा मजबूत फर्नीचर के नीचे धुस जाये अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जायें व अपना सिर एवं शरीर तथा अपने हाथें को तकिया, कंबल, किताब आदि से ढ़क ले ताकि गिरने वाली वस्तुएं से स्वयं की रक्षा हो सकें।
- ❖ बाहर की ओर तब तक न भागें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाय कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- ❖ भूकंप के दौरान बाहर निकलने के स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें। संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागें क्योकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है। तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकती है।
- ❖ कभी भी मुख्य द्वार से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हो, क्योकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- ❖ जब आप बाहर हैं,तो भूकंप की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ों तथा विद्युत तारों से दूर रहे। खुले क्षेत्र में तब तक रूकें, जब तक कंपन खत्म न हो।

- ❖ अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बडे पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अंदर रहें यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते हैं। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के निए सुरक्षित स्थान है। पत्थर की संरचनाओं अथवा ऊँची इमारतों के नजदीक न रहें। फलाई ओवर पुल के नीचे या ऊपर न रहें।
- ❖ वाहन चलाते समय भूकंप से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों एवं पूलों को अवश्य देखें।
- ❖ भूकंप के झटके रूकने पर मलवे में फंसे लोगों को निकालने में मदद करें।
- ❖ चोट की जांच करकें तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें।
- ❖ पुलिस को 100 व अग्निशमन को 101 पर सूचना दें।
- ❖ विद्युत को तब तक इस्तेमाल न करें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नही रही है।
- ❖ गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस, स्टोप, मोमबत्ती व माचिस न जलाये।
- ❖ आपात कालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- ❖ भीषण भूकंप के कुछ दिनों तक भूकंप के पश्चात के झटकों के लिए तैयार रहें जो सामान्य बड़े भूकंप के बाद आते हैं एवं पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पहुंचा सकते है।

<u>गैर इंजीनियर भूकंप प्रतिरोधी निर्माण कार्य</u> :–

पूर्व एवं हाल के भूकंपों से हुई भयंकर जान–माल की क्षति से स्पष्ट है कि हमारे मकान एवं अन्य संरचनाएं भूकंप से सुरक्षित नहीं हैं, तथा इससे भूकंप प्रतिरोधी नहीं होने की स्थिति में भविष्य में भी भारी हानि संभावित हैं। भूकंप की अनिश्चितता, अनिश्चित आवृति काल, आम जन में व्याप्त भूकंप के प्रति उदासीनता एवं सामाजिक/आर्थिक कारणों से भूकंप प्रतिराधी संरचना का निर्माण जोर नहीं पकड़ पाया है। इसके अलावे भूकंप प्रतिरोधी निर्माण हेतु तकनीक भी सस्ता सुलभ नहीं रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुए कुछ आवश्यक दिशा–निर्देश अधोवर्णित हैं जिन्हें अगर निर्माण काय में अपनाया जाय तो संरचना में भूकंप प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके आलावा भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा निर्धारित मापदंडों को भी अपनाया जा सकता हैं।

भवन की योजना, स्थल एवं नीवं पर विचारः

<u>समरूपता</u> :–

समग्र रूप से मकान को या उसके विभिन्न खंडों को दोनों अंक्षों पर समरूप रखना चाहिए जिससे भूकंप के कारण मरोड़ से क्षति न हो। खिड़की एवं दरवाजे के स्थान और माप की समरूपता को नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

भवनः–

भवन सरल एवं आयताकार होना चाहिए। लंबे भवन विभिन्न खंडों में बनाये जाने चाहिए एवं एक खण्ड की लंबाई चौड़ाई से तीन गुना अधिक न हो।

खण्डों के बीच की दूरीः–

दो खण्डों के बीच की दूरी 30 मि0मी0 से 40 मि0मी0 तक होनी चाहिए। यह दूरी कुर्सी स्तर से ऊपर लगातार होगी।

सादगीः

मकान ज्यादा से ज्यादा सादगीयुक्त होना चाहिए। अनावश्यक कॉर्निस, कैन्टीलिवर, प्रोजेक्शन आदि संरचनाएं भूकंप के दरम्यान खतरनाक साबित हेात है। यदि अलंकार अत्यावश्यक हो तो स्टील छड़ देकर उसे प्रबलित करना चाहिए।

घिरा हुआ क्षेत्रः–

दीवारे आपस में यथोचित रूप से सम्बद्ध होनी चाहिए ताकि संरचना एक संदूक की भांति आचरण करें। लंबी दीवारों के समान पर छोटी दीवारें अधिक प्रतिरोध देती है। यदि लंबी दीवारें अनिवार्य हो तो आर0सी0सी0 स्टीफनर का प्रयोग किया जाना चाहिए। दीवार की लंम्बाई और मोटाई का अनुपात 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। पूरा भवन एक संगठित इकाई की तरह कार्य करें, इतना बंधन अवश्य रहना चाहिए।

स्थल का चयनः–

स्थिर ढ़ाल पर स्थल चयन किया जा सकता है।

ढ़ीली रेत या संवेदनशील मिट्टी पर भवन निर्माण सुरक्षित नहीं है। यदि वैकल्पिक स्थल उपलब्ध नहीं है तो बिना किसी विशेषज्ञ के परामर्श के निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करें।

निर्माण के अवयवः–

नीव :–

भवन की नींव ठोस आधार पूर्ण कम्पैक्टेड मिट्टी पर होनी चाहिए। मिट्टी सख्त होने पर किसी तरह की नींव का आधार दिया जा सकता है। महत्वपूर्ण निमार्ण में सुदृढ़ीकृत कंक्रीट के सभी नींव–पायों के स्तम्भों को जोड़ा जाये जो समकोण पर प्रतिच्छेद करें। भी भूकंप प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। नींव की गहराई भवन में समान होनी चाहिए।

ईंट की जोड़ाईः–

ईंट की जोड़ाई में चाल का समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक दूसरे ईंट को बांध कर रख सके। जोड़ के ऊपर जोड़ नहीं आना चाहिए। ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्स द्वारा भूकंप प्रवर जोन चार में मुजफ्फरपुर जिला को रखा गया है जो अति प्रलयकारी है। इसके अनुरूप जोड़ाई का काम पक्के ईंट सीमेन्ट बालू के 1:4 मिश्रण से न्यून नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण भवनों में एक–एक रद्दा छोड़ कर प्रवलित जोड़ाई किया जाना वांछित हैं।

ऊपरी संरचनाः–

सुपर स्ट्रेक्चर में भी ईंट जोड़ाई उपर्युक्त वर्णित पद्धति से किया जाना चाहिए। कुर्सी स्तर लिंटेल स्तर एवं छत स्तर पर आर0सी0सी0 रिंग बीम निर्माण किया जाना चाहिए। छत एवं फर्श आपस में इस तरह संबद्ध किये जाए कि एक डायफॉर्म के समान कार्यशील हो जाए। छत के ऊपर प्रोजेक्शन या गुम्बदनुमा छत बनाने से यथा संभव बचना चाहिए। छत की ढ़लाई आर0सी0सी0 जो कम से कम (1:2:4) के अनुपात में आवश्यक हैं। भारवाही दीवार की मोटाई 190 मि0मी0 से कम नहीं होना चाहिए। दीवार की ऊंचाई, दीवार की मोटाई के 20 गुना से ज्यादा नही हो। चौड़ी दीवारों के बीच दीवार की लम्बाई 40 टी0 (7.6 मी0) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लंबाई कम नहीं की जा सकती हो तो दीवार की मोटाई बढ़ानी चाहिए अथवा बीच–बीच में भित्ति स्तंभ या स्टीफनर दिया जाना चाहिए।

खुले हिस्सेः–

दीवार में खुला हिस्सा कम से कम होना चाहिए तथा वे दीवार के मध्य के पास अवस्थित होना चाहिए। खुले हिस्से के अंदरूनी कोने से कम खुले हिस्से की उंचाई का एक चौथाई की निर्वाध दूरी पर लेकिन 600 मि0मी0 से कम दूरी पर नही रखना चाहिए। एक मंजिला के खुले हिस्से की कुल लंबाई को आड़ी दीवारों के बीच की दीवारों की लंबाई के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। दो मंजिला मकान में 42 प्रतिशत एवं तीन मंजिला मकान में 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। दो खुले हिस्सों के बीच की क्षैतिज दूरी, पायो की चौड़ाई खुले हिस्से में छोटे खुले हिस्से की आधी ऊँचाई से कम नहीं होनी चाहिए। किन्तु किसी भी दशा में 60 से0मी0 से कम नहीं होनी चाहिए। खुले हिस्से से ऊपर के खुले हिस्से के बीच की उर्ध्वाधर दूरी 60 से0मी0 से कम नहीं होनी चाहिए और छोटे वाले खुले हिस्से की आधी चौड़ाई से कम न हो। उपरोक्त वर्णित मार्गदर्शन का अनुपालन अगर संभव न हो तो खुले हिस्से के चारों ओर आर0सी0सी0 ढ़लाई कर संदूकनुमा बनाया जाना चाहिए। कोणों और टी जंक्शन पर क्वूमस छड़ों का उपयोग करना चाहिए। यह प्रत्येक चौथे छड़े पर या 50 से0मी0 के अंतराल पर किया जा सकता है। छड़ की पकड़ सही रखने हेतु छड़ की दीवार में पर्याप्त लंबाई (दीवार की मोंटाई के 12 से 15 गुला तक) होनी चाहिए।

निर्माण सामग्रीः–आवश्यकातानुसर स्टील एवं कंक्रीट का उपयोग वांछित है। निर्माण सामग्री उत्कृष्ठ गुणवत्ता की होनी चाहिए।

अग्नि प्रतिरोधः–

यथासंभव निर्माण सामग्री अग्नि प्रतिरोधी होनी चाहिए क्योंकि भूकंप के समय आग लगने की संभावना बहुत अधिक होती है। इस तरह के प्रावधान भवनों मेंकिये जाने से भूकंप प्रतिरोधी सामथर्य बढ़ता है। भूकंप की तीब्रता, आवृति, प्रभाव क्षेत्र आदि के बारे में पूर्व से ही आंकलन करना संभव नहीं है। 100 प्रतिशत भूकंप प्रतिरोधी भवन बनाना न तो संभव और न ही वांछित है फिर भी सामान्यता जो भूकंप आते ही उनका प्रतिरोध करने पर सामर्थ्य भवनों में लाया जा सकता है। जरूरत हे आम लोगों तक भूकंप प्रतिरोधी भवन बनाने की दिशा में जागरूकता पैदा करने की तथा उन्हें इससे संबंधित तकनीकी सहयोग सुलभ कराने की। इस दिशा में अंतराष्ट्रीय भूकंप इंजीनियरी संघ धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने गैर इंजीनियरी निर्माण हेतु मार्ग दर्शिका तैयार किया, जो इंटरनेट पर सूचना उपलब्ध है। भारतीय पृष्ठिभूमि में भारतीय मानक व्युरों रू0 1893.1975 भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करता है।

8.2 अग्नि :–

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में अग्नि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रारंभिक काल में मानव समुदाय सुरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करते थें। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाय तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकांड दृष्टिगोचर होते हैं। व्यावसायिक एवं रिहायशी भवनों में आगजनी की घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई हैं। घरों में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाय तो वह अनियंत्रित हो जाती है। क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी तेल का प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपरकरणों द्वारा शहरी क्षेत्रों में सामान्यतः लोगों की लापरवाही से भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल–मई में स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते है। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुश्क्ता के बने रहने पर आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। घास, पत्ती, लकड़ी, मोटर गाड़ी, डीजल इंजन की चिनगारी पड़ने पर तथा कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है। शहरों में अधिकतर अग्निकांड मानव जनित ही होते है। बिजली के शॉट–सर्किट एवं आकाशीय बिजली गिरने से आग लग जाती है। अग्निकांड से जन हानि, पशु हानि तथा निजी व सार्वजनिक सम्पत्ति को काफी क्षति होती है।

अग्निकांड की अन्य संभावनाएं :

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकांडों के अतिरिक्त कुछ अग्निकांड की घटना ऐसी भी हो सकती है जिन पर त्वरित कार्यवाही न की गई तो वे अत्याधिक भयंकर रूप ले सकते है। जैसे– औद्योगिक इकाईयां, जहां अत्याधिक ज्वनलशील पदार्थों का भंडारण अथवा प्रयोग होता है अथवा गैस गोदाम, पेट्रोल पम्प आदि जैसी इकाईयां।

अग्नि न्यूनीकरण की योजना :

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्धन योजना तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। ताकि दुर्घटना के समय कम समय में ही तत्परता पूर्वक कार्यवाही करके भयावह स्थिति को कम किया जा सकें।

आग से बचने के लिए सावधनियाँः

- ❖ बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री से करवाएं।
- ❖ बिजली कभी भी डायरेक्ट लाईन से न लें।
- ❖ बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड न हो।
- ❖ बिजली या किसी प्रकार का बिन्डिंग कराते समय ध्यान रहे कि उसमें ज्वनलशील पदार्थ भरा न हो।
- ❖ पंडाल, मंडप या अस्थायी सभी प्रकार के मंडप में बिजली आदि का विशेष ध्यान दें।

रसोई घरः

- ❖ रसोई घर में जलने वाले पदार्थ का अधिक भंडारण नहीं करना चाहिए।
- ❖ गैस सिलिंडर या उसके नल व पाईप को समय–समय पर गैस कंपनी से जांच करवाना चाहिए।
- ❖ साड़ी का पल्लू तथा लटकने वाले कपड़ों को आग से दूर रखें।
- ❖ रसोई खुली एवं खिड़कीदार हो।
- ❖ अगर मालूम हो जाय कि गैस लीक हो रही है तो बिजली की स्वीच को ऑन–ऑफ न करें।
- ❖ कार्य पूरा होने पर रेगूलेटर को ऑफ करना न भूलें।
- ❖ अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेगूलेटर को बंद करें अथवा सिंलिंडर को बाहर कर दें।
- ❖ आग लगने पर गैस कंपनी, अग्निशामक तथा पुलिस को टेलीफोन करें।
- ❖ आग लगने पर रसोई में पानी के छिड़काव या गिले कंबल का प्रयोग करें।

गांव में आग से बचावः–

- ❖ कभी भी चूल्हे को खूला न रखें।
- ❖ चिमनी, लालटेन, लैम्प आदि को शीशे से ढ़क कर ही रखें।
- ❖ बीड़ी–सिगरेट आदि टुकड़ों को पूर्णरूप से बुझाकर ही फेंके।
- ❖ घास, खलिहान, पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेड़ी बनावे जिससे कि स्पौन्ठटेनिकस कम्बलशन से आग लगाने का खतरा न हों।
- ❖ एक ढ़ेडी से दूसरी ढ़ेडी की दूरी 60 फिट होनी चाहिए। ढ़ेडी की ऊचाई 20 फिट से ज्यादा न हों।
- ❖ खलिहान गांवों से दूर होनी चाहिए और ऐसी जगह होनाी चाहिए जहां पानी आसनी से मिल सके। कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अति आवश्यक है।
- ❖ गांवों में फायर पार्टी (कार्यदल) का गठन करना तथा उनकों समय–समय पर मॉक–ड्रील करवाना चाहिए।
- ❖ गंव के बीच जहां चौपाल हो वहां फायर कन्ट्रोल यूनिट की स्थापना करें तथा आवश्यक सामग्री जैसे–घंटी, कचिया, फावड़ा, कुदाली, खुरपी, बाल्टी, टार्च एवं नजदीकी फायर ब्रिगेड का फोन नंबर होना चाहिए।

आग लगने पर कार्यवाहीः–

- ❖ यदि सूचना सीधें फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल पर प्रस्थान करेगा। साथ ही अग्निकांड की सूचना संबंधित थाना, ब्लाक, जिला मुख्यालय को भी देगा। सूचना की गंभीरता के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेगें तथा राहत कार्य का संचालन करवायेंगें।
- ❖ ब्लाक मुख्यालय में सूचना प्राप्त होने पर ब्लाक अधिकारी अथवा जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध हों यथा शीघ्र घटना स्थल पर पहुंचेगें तथा समस्त राहत एवं बचाव कार्य का समन्वय करेंगें। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी सूचना मिलने पर शीघ्रता पूर्वक स्थल पर पहुचेंगे तथा स्थिति की गम्भीरता का मूल्यांकन कर कानून व्यवस्था बनाये रखेंगें।
- ❖ यदि अग्निकांड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय कंट्रोल रूम में प्राप्त होती है तो कंट्रोल रूम जिला पदाधिकारी को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि संबंधित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटना स्थल के लिए प्रस्थान कर गया है या नहीं। यदि अग्निकांड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा। किसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से पहले फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटना स्थल पर प्रस्थान करेगा और सीधे ही घटना की सूचना कंट्रोल रूम तथा जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को देगा।

- ❖ **आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका :–**
- ❖ समन्वय एवं पर्यवेक्षक।
- ❖ सूचना की प्रामथिकता ज्ञात करना।
- ❖ सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मद में नकद सहायता।
- ❖ विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं।

अग्निशमन केंन्द्र एवं नियंत्रण कक्ष :–

- ❖ अग्निशमन वाहनों एवं कर्मियें की उपलब्धता।
- ❖ अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिष्ठापन।
- ❖ आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव।
- ❖ अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा–लाईफ जैकेट, ऑक्सीजन सिलिंडर, सीढी,
- ❖ बालू के थैले आदि।
- ❖ रेड–क्रॉस एवं अन्य गैर सरकारी संस्थाओं से समन्वय।
- ❖ अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता।

पुलिस :–

- ❖ कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
- ❖ जल सामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- ❖ प्रभावी क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना।

विद्युत विभाग :–

- ❖ विद्युत आपूर्ति की समुचित रूप से देखभाल।
- ❖ अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना।

जल निगम/नलकूप विभाग :–

- ❖ नियमित एवं अन्य त्रोतों से जल की उचित आपूर्ति।
- ❖ अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :–

- ❖ प्राथमिक उपचार।
- ❖ राजकीय एवं जिली अस्पतालों से संपर्क करना।
- ❖ पीड़ितों को समचय पर अस्पताल पहुंचाना।
- ❖ औषधियों की व्यवस्था करना।
- ❖ मेडिकल स्टोर एवं थोक विक्रेता तथा खुदरा विक्रेता से संपर्क करना।
- ❖ चिकित्सक एवं पारा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध करना।

पशुपालन विभाग :–

- ❖ पशु चिकित्सालयों से संपर्क करना।
- ❖ पशुधन की देख–भाल हेतु उपलब्ध कर्मियों को कार्यरत करना।

गैर सरकारी संस्थान :–

- ❖ प्रतिबद्ध स्वयंसेवकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ❖ राहत शिविर लगाना एवं सहायता सामग्री का वितरण करना।

आपूर्ति विभाग :–

- ❖ व्यापारियों एवं हलवाइयों से संपर्क कर भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- ❖ भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण।
- ❖ राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवक के साथ समन्वय।

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें :–

क्या करें :–

- ❖ आग लगने पर फोन नंबर 101 अथवा 100 पर तुरंत क्रमशः अग्निशमन विभाग व पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित करें।
- ❖ बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ी का प्रयोग करें।
- ❖ जब यह निश्चित हो जाय कि अन्तिम आदमी बाहर आ गये तो दरवाजा बंद कर दें।
- ❖ बिल्डिंग में आग लगने पर तुरंत खुले स्थान में पहुंच जाय।
- ❖ अगर संभव हो तो नाक–मुंह को गिले कपड़े से ढ़क लें।
- ❖ सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- ❖ अगर आगजनी के दौरान किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहे।
- ❖ नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई भी आदमी अंदर न रह गया हो। यहां तक कि उसमें बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या न करें :–

- ❖ घरों में लैम्प व चूल्हे के आग को न जलाएं।
- ❖ राख बाहर फेंकने से पहले आग की चिनगारी बुझा दें।
- ❖ बिजली की तार से सटे किसी भी वस्तु को नहीं छूना चाहिए।
- ❖ क्षतिग्रस्त घर के पास न जाएं।

अग्निकांड के पूर्व एवं पश्चात के कार्य व्यवस्था :–

सिद्धार्थनगर जिले की 96 प्रतिशत आवादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं गांवों में लोगों की लापरवाही से आगजनी जैसी घटनायें प्रायः घटित होती है। खास कर अप्रैल एवं मई माह में तेज गर्मी और गांवों का खुला वातावरण आग को फैलाने में तीव्रता पैदा कर देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड का समस्याओं के स्वरूप निम्नवत् हैः–

(1) खेत–खलिहान, कपड़ा तथा फूस के मकान तीव्र गति से प्रभावित होते हैं। खुला वातावरण इसमें और भी तीव्रता लाते हैं। आग लगने के अपरांत ग्रामीण संगठित हो प्रारंभिक अग्निशमन के लिए कुछ उपकरण खोंजें, तब तक आग फेल चुकी होती है और वे असहाय– सा देखते रहते हैं।

(2) संचार अथवा टेलीफोन आदि की व्यवस्था नहीं होने के कारण सरकारी सूत्रों तथा अग्निशमन केन्द्रों को सूचित भी नहीं कर पाते हैं, यदि किसी प्रकार सूचनाएं अग्निशमन को मिलती भी है तो इतनी देर हो चुकी होती है कि वि ोष लाभ मिलने की आशा नहीं रहती है।

(3) सड़क के अभाव में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गांव तक नहीं पहुंच पाती है। यदि रास्ता आदि बनाकर किसी प्रकार पहुंचे भी तो काफी देर हो चुकी होती है।

(4) अग्निशमन हेतु जल श्रोत का अभाव एक अलग गंभीर समस्या होती है, खासकर ग्रीष्म काल में कहीं दूर से पानी की व्यवस्था कर आग की तीव्रता को रोकने में विलम्ब होता है और परिश्रम भी बर्बाद हो जाता है।

उपर्युक्त संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फायर बूथों की स्थापना अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। प्रत्येक पंचायत व वार्ड में आपदा प्रबंधन समिति व आपदा प्रबंधन कार्यदल गठित किये गए है। इनकी मदद से फायर बीटर्स, फायर टेक, बाल्टी, रस्सी और कुल्हाड़ी आदि छोटे–छोटे अग्निशमन उपकरण एवं एक घंटी सार्वजनिक स्थल पर स्थापित किया जाता सकता है, ताकि दुर्धटना होने पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस घंटी को बजा सके जिससे सभी सतर्क हो सकें, एकत्रित हो सकें आग व प्रारंभिक अवस्था में ही रोक थाम हो सकें। आगजनी जैसी घटना को रोकने के लिए ग्रीष्मकाल के पूर्व लोगों के अन्दर प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता हैं। प्रचार–प्रसार के लिए जगह–जगह होर्डिंग व बैनर लगाए जा सकते हैं। दीवार लेखन पर्चा एवं पंपलेट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। स्कूलों में बच्चों को इससे संबंधित जानकारी तथा रोक थाम के उपायों का प्रदर्शन किया जा सकता है। प्रत्येक ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति की बैठक में भाग लेकर अग्निकांड की रोकथाम पर जनप्रतिनिधियों के साथ सुझावों का आदान–प्रदान कर सकते है तथा जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी पूरे जिले के देहाती क्षेत्रों में इसका प्रचार विस्तारक यंत्र द्वारा अविलम्ब करवाना सुनिश्चित कर सकते हैः–

(1) गांव में हवा के झोके के तेज होने के पूर्व सुबह 8–9 बजे तक खाना बनाकर आग को पूरी तरह पानी से बुझा दें।

(2) राख को बाहर फेंकने के पूर्व पूरी तरह सुनिश्चित कर ले कि उसमें आग की चिनगारी नहीं है।

(3) खाना ऐसी जगहों पर पकाएं जहां हवा का झोंका नहीं लगे।

(4) हुक्का, बीड़ी, सिगरेट आदि पीकर उसे पूरी तरह बुझा कर फेंकें।

(5) जल संग्रहण की व्यवस्था रखी जाय ताकि आग पर शीघ्र काबू पाया जा सकें।

आगजनी जैसी दुर्घटनाओं के पश्चात तहसीलदार अविलंब सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचकर खाद्यान्न, वस्त्र तथा अन्य राहत सुविधा शासनादेश में निर्धारित मापदंडों के अनुसार अविलंब वितरित करेंगे।

8.3 सूखा :–जल के अभाव का संचयी प्रभाव सूखा के रूप में होता है जिका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरंतर बढ़ती जाती है तो अकाल ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखें को दो मार्गो में बांटा है– 1. प्रचन्ड सूखा एवं 2. सामान्य सूखा। प्रचंड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखें में औसत वर्षा में 25 प्रतिशत बारिश होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखें की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो, यदि यह कमी 25–50 प्रतिशत के मध्य है तासे इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। सूखा एक धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबंधन न होने के कारण समय के साथ प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखें का मुख्य कारण वर्षा की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक :–

- ❖ जलाशयों में पानी का अभाव।
- ❖ वर्षा का कम होना या समय पर न होना।
- ❖ भू–जल स्तर का कम होना।
- ❖ कुँओं का सूखना।
- ❖ फसलों को नष्ट होना।

सूखें के प्रकार :–

- ❖ मौसम विज्ञान संबंधी सूखा–अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण।
- ❖ जल विज्ञान संबंधी सूखा–पाली का अभाव भू–जल स्तर का निम्न होना, जल स्त्रोत जैसे–तलाब, कुँओं तथा जलाशयों का सूखना।
- ❖ कृषि संबंधी सूखा–फसल अथवा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।

सूखे की कार्य योजना :–

उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यहां का भौगोलिक ढांचा में कुछ क्षेत्र सूखा ग्रस्त क्षेत्र भी है। चाहे मौसम बिल्कुल अनुकूल क्यों न हो तब भी वहां सूखा पड़ेगा। बुंदेलखण्ड आदि ऐसे इलाके है जहां कि सामान्य वर्षा यदि हो तो भी सूखा की स्थिति बनी रहती है। सिद्धार्थनगर जिले में कई विकास खण्डो का क्षेत्र भी सूखा प्रभावित रहता है। परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते है। अथवा इसके प्रभाव को न्यूनीकरण किया जा सकता है।

दीर्घकालीन उपाय :–

- ❖ वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- ❖ पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- ❖ मिट्टी एवं नमी का संरक्षण।
- ❖ अत्याधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ की कटाई को रोकना।
- ❖ फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- ❖ स्वयं सहायता समूह का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।
- ❖ पनी के परंपरागत स्त्रोतों को पुर्नजीवित करना।
- ❖ कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगार एवं परंपरागत उपयोगयों को बढ़ावा देना।

सूखा पूर्व तैयारीः–

- ❖ अकाल प्रभावी क्षेत्र को चिन्हित करना।
- ❖ धारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवो को चिन्हित करना।
- ❖ अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ❖ पेयजल की व्यवस्था करना।
- ❖ जानवनो के शिविरों को चिन्हित करना।
- ❖ सूख के दौरान होने वाली बिमारियों से लडने के लिए तैयारी।

सूख के समय कार्य योजनाः–

- ❖ सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषण करना।
- ❖ सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा लेना।

जिला प्रशासनः–

- ❖ आपदा प्रबन्धन विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेंगें।
- ❖ राहत कार्यो की शुरूआत।
- ❖ कुँओं को गहरा करना।
- ❖ उपलब्ध पानी मे स्रोतों का प्रबन्धन।
- ❖ है.ड पम्पों की मरम्मत करना।
- ❖ खाद्य सामग्री पर मूल्य नियन्त्रण करना।
- ❖ प्रभावित क्षेत्रा में रोजगार का सृजन करना।
- ❖ किसानों को सिंचाई हेतु बिजली एवं डीजल उपलब्ध कराना।
- ❖ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे–वृद्धा पेंशन, अन्त्योदय, अन्य योजना, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, मध्यांतर भोजन योजना, अन्नपूर्णयोजना आदि का कार्यान्वयन करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागः–

- ❖ प्रभावित जन सामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना।
- ❖ मौसमी बीमारी, संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए चिकित्सक एवं पारा मेडिकल स्टोरों की उचित व्यवस्था करना।
- ❖ राहत कार्य स्थल पर मेडिकल कीट्स एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

पुशपालन विभागः–

- ❖ ममेशियां के लिए शिविर लगाना।
- ❖ संक्रामक रोगों से बचाव के लिए पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- ❖ बड़ी संख्या में पशु की मृत्यु रोकने के लिए पशु चिकित्सक कर्मी एवं दवाईयों से बचाने के लिए संघन चिकित्सा व्यवस्था।
- ❖ दवाओं की उपलब्धता।
- ❖ ब्लाक स्तर पर तैनात कर्मचारियों की सूची/जिम्मेदारी।
- ❖ दवाओं की चिन्हांकन/मूल्य निर्धारण, स्टाक प्राप्ति का सत्यापन वितरण।

जल निगम/नलकूप/सिंचाई निर्माण/ड्रेनेज खण्ड

- ❖ प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- ❖ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टेंकर हैण्ड पम्प आदि की व्यवस्था करना।
- ❖ ग्रीष्म ऋतु हेतु आपदा आपात योजना प्रभारी बनाना एवं समय पर सभी कार्यो का क्रियान्वयन करना।
- ❖ पेयजल के सभी स्रोतों/संसाधनों की मरम्मत एवं उपयोग।
- ❖ टेंकर से पेयजल आपूर्ति किया जाना।
- ❖ कुँओं को आवश्यकता अनुसार गहरा कराया जाना।
- ❖ पशुओं के पेयजल संकट से निवारण हेतु तालाब पोखरों को भरवाना।

- ❖ नलकूपों को चालू हालत में रखना।
- ❖ नहरों का रोस्टर के अनुसार मरम्मत करना।
- ❖ राहत कार्य के अन्तर्गत फल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

विद्युत विभागः–

- ❖ विद्युत पम्पों/नलकूपों के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ❖ रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति।
- ❖ विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्धन करना।
- ❖ खराब ट्रांसफार्मर को बदलना।
- ❖ क्षेत्रवार कर्मचारियों की ड्यूटी।

खाद्य एवं आपूर्ति विभागः–

- ❖ समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अत्योदय व अन्नपूर्णा योजना, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन।
- ❖ काम के बदले जनाज योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।

समेकिम विभाग/उद्यान विभागः–

- ❖ खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक इवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ❖ फसलों का चक्रानुक्रम नर्सरी एवं कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।
- ❖ मृदा में नमी संरक्षण के उपायों का प्रचार–प्रसार करना।

अग्निशमनः–

- ❖ कर्मचारियों की डियूटी
- ❖ अग्निशमन यंत्रों का तैयारी।
- ❖ आग से बचाव पर प्रचार–प्रसार।

नगर पंचायत/नगर पालिकाः–

- ❖ टैंकर की उपलब्धता।
- ❖ हैण्ड पम्पों की मरम्मत एवं स्थापना।
- ❖ सफाई व्यवस्था।
- ❖ रोग नियंत्रण।
- ❖ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था।

स्वयं सेवी संस्थाः–

- ❖ राहत कार्यो एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठन की भागीदारी।
- ❖ इस विपत्ति हेतु जिला प्रशासन से वित्तीय सहायता उपलब्ध करना।
- ❖ सूखा से बचने के लिए क्या करें, क्या न करेंः–
- ❖ समाचार पत्रों, रेडियों, टेलीवीजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को लगातार सुनें व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करें।
- ❖ पानी की बचत करें, तथा बर्बाद होने से रोके। जब भी जल नल से पानी व्यर्थ बहता दिखे नल बंद कर दें।
- ❖ गिलास में एक बार में उतनी ही पानी ले जितनी आपकों प्यास है। पूरा गिलास पानी लेकर एवं जूठा छोड़ने से पानी बर्बाद होता है। अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाता है तो उसे पेड़–पौधों में डाले।
- ❖ पाईप लाईन टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवाये ताकि बूंद–बूदं करके पानी बेकार न बहे।
- ❖ घरों में वही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूतर होती है। जैसे घास में दो दिन में एकबार पानी दें। फल, सब्जी, कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधें में डाले।
- ❖ नहाते समय बाल्टी एवं मग का प्रयोग करके नहायें क्योंकि फौवारें एवं बाथ टब से पानी अधिक बार्बद होता है।
- ❖ जन संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयास में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

8.4 ओला वृष्टिः–

- ❖ ओलावृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व मे नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है कि आधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है तथा हवा के रूख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षतिग्रस्त करते हुए निकलता है।
- ❖ ओलावृष्टि के कारण मानव जीवन व पशुधन के साथ–साथ सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि में व्यक्तिगत/ पशुधन/फसलों की क्षति आकलन करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना प्रशासन का उत्तरदायित्व है।
- ❖ यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है जो किसी भी क्षेत्र में कम ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आकलन ही तात्कालिक संभव है। ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, खण्ड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी के द्वारा दौरा कर व स्थानीय जनता से सम्पर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तत्काल राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गांवों को चिन्हित करते हुए फसलों के नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुचाने की व्यवस्था करते है।

8.5 ताप घात (लू0)

- उ0प्र0 राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनों प्रकार की आपदाओं की संभावना बनी रहती है। मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान निरन्तर बढ़ते रहता है और मई और जून का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई के मध्य दैनिक अधिकतम तापमान 40 से और मध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 25 से0 रहता हैं। जून में भीषण गर्मी हो जाती है। किसी–किसी दिन अधिकतम तापमान 40डिग्री0 से 45 डिग्री से0 तक पहुॅच जाता है।

तापघात के लक्षणः–

- अत्यधिक पसीना आना।
- सिर दर्द होना।
- जी मचलाना।
- आलस्य एवं थकान
- शरीर के तापमान में वृद्धि
- तापघात से बचाव के उपाय
- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाए।
- अगर घर से बाहर जाए तो सिर पर गमछा या मोटा वस्त्र लपेट ले।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट नही निकलें।
- अगर व्यक्ति तापमान से पीडित हो तो शरीर के चारों तरफ गिली पट्टी लपेट दें एवं पंखा करें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठण्डे स्थान में ले जाए।
- अगर तंग कपडे पहने हो तो उन्हें ढीला कर दे या हटा दें।
- कम खाना खाए और ज्यादा बार खाएं। अधिक और भारी खाना को पचाने में कठिनाई होती है और यह शरीर के आतंरिक तापमान को बढाता है जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबियत खराब हो जाये तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जाए।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें। जैसे–मांवा आदि जो शरीर तापमान बढ़ाते है।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी–

- लोगों को तापघात के लिए जागृति बनाने की आवश्यकता है। इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करें क्या न करें कि जानकारी प्रदान करें जो ऊपर बतायी गई है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार के माध्यम से जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोह जहां अधिक लोग एकत्रित होते हों को रोका जाना चाहिए।
- तापघात के लिए क्या करें क्या न करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृति करें।

शीत लहरः–

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन व रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में जो सबसे ठण्ढा महीना होता है को माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22 डिग्री0 व माध्यम दैनिक न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री0 रहता है। शीत लहर के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती है।

1. ज्यादा मोटे कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
2. पतले कपडों की ज्यादा परते एक गर्म कपड़े की बजाय ज्यादा गर्म होता है।
3. गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय सिर के ढक कर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप कांपने लगे या थकान महसूस करे या आपकी नाम, अंगुलियां, एडिया ठढी हो जाय तो जल्दी ही भीतर चले जाए।
4. मौसम की स्थिति से सावधान रहें। मौसम एक दम से बदल सकता हैं तापमान तेजी से गिर सकता है, ठण्ढी हवा बढ सकती है।
5. अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर से भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहना है।
6. समयपर भोजन करें। भोजर शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है।
7. संक्रमण रोकने के लिए पेय पदार्थ लें। गर्म पेय जैसे चावल का पानी या संतरे का जूस लें। मदिरा से परहेज करें।
8. अत्यधिक ठण्ढी से बचने के लिए मुह को ढक कर रखें। गहरी सांस नहीं ले और कम बोंले।
9. सूखें रहें गीले कपडे तुरंत बदल दे क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हे।
10. गर्म कम्बल या चादर इस्तेमाल करें।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारीः–

1. जरूरत मंद व्यक्ति सर्वाधिक संवेदनशील होते है उनको जिला प्रशासन शरण स्थल की व्यवस्था करेंगे।
2. गरीब बेसहारा लोगों पर ध्यान दे जो बस स्टैन्ड रेलवे स्टेशन, बाजारों आदि खुले स्थानों पर शरण लेते है। उन्हें गर्म स्थानों में जगह दे अथवा सामुदायिक केन्द्रों में रखे और जरूरत के अनुसार सामानय उपलब्ध करावें।
3. गस्त पर मोबाइल टीम लगाई जानी चाहिए जो लोगों को जरूरत के समय कर सकें।

जिला स्तरीय बैठकः–

	जिम्मेदारी	जिला स्तरीय मार्गदर्शक
आपदा के समय जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक निर्धारित सपर पर होगी	आपदा प्रबन्धन	अपर जिलाधिकारी

8.8 सड़क व रेल दुर्घटनाः–

1. सभी पदार्थों की नियमित मरम्मती करेगें व बाढग्रस्त क्षेत्रों में सडकों की उचाई आवश्यकानुसार बढायेगें।
2. बाढ ग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सडकों में पुल व पुलिया का निर्माण करेंगें ताकि पानी का निकास समुचित रूप से हो सकें।
3. सभी पथों के दोनों ओर दो फिट की चौड़ाई तक ईटाकरण कर कार्य भी करेगें।
4. सडकों के किनारे वस्तियों व शहरों के निकट साईन बोर्ड लगाकर दिखा निर्देश अंकित करेंगें व चौके–चौराहे पर स्वचालित मार्ग दर्शक वस्तियों का प्रयोग करेंगे।

वन विभागः–

1. सभी पदार्थों के दोनों किनारों पर समुचित संख्या मे वृक्षारोपण का कार्य करेगें विशे ा कर बाढ ग्रस्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य को बढावा देंगे।
2. समय–सयम पर पथ्के किनारे अव्यवस्थित रूप से बढ रहे वृक्षों की कटाई करेंगे।
3. आंधी अथवा तूफान के कारण सडकों पर गिर पडे वृक्षों की कटाई कर उसका त्वरित निश्पादन करेगें।

पुलिस विभागः–

1. पथों व सडकों पर हो रही वसूली रोकने का काम करेंगें तथा अवैध वसूली व संलग्न पुलिस कर्मियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करेगें।
2. अव्यवस्थित रूप से बाहर खडा करने वालों के विरूद्ध कठोर कदम उठाये जायेगें तथा नियमानुसार बाहन खडा करने हेतु लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगें।
3. ट्रेफिक पुलिस की स्थापना के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को प्रस्ताव भेजे।

रेलवेः–

1. रेलवे उपरी पुल का निर्माण करेगें।
2. क्षतिग्रस्त पुल को अभिलम्ब तोडवाकर वहां पर नये यात्री पैदल पुल का निर्माण करेंगें।
3. प्राथमिकता के आधार पर अत्याधुनिक सूचना उपकरण की स्थापना करेगें।
4. गुजरने वाली सभी रेलगाडियों को यथा संभव उचित समय पर प्रस्थान करने की व्यवस्था करेंगें।

उ0प्र0 राज्य वरिवहन निगमः–

1. सरकारी बस पढाव को शहर से बाहर ले जाने की व्यवस्था करेंगें।

चिकित्सा विभागः–

1. कम कम दो एम्बुलेन्स सदर अस्पताल परिसर में 24 घण्टे कार्यरत रहेगें
2. प्रयाप्त संख्या में आक्सीजन सिलेण्डर की व्यवस्था करेगें।
3. प्रत्येक 8 घण्टे हेतु विशे ा चिकित्साधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रोस्टर बना कर करेगें तथा इनकी सूची आपदा प्रबन्धन को नियमित रूप से उपलब्ध कराते रहेगें।
4. ब्लड बैंक की स्थापना हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव देगें तथा इमरजेन्सी चिकित्सा उपकरण व आवश्यक दवाईया मौजूद रखेगें।

भाग–9
सामान्य संसाधन पद्धति

9.1 सहायता बचाव कार्य में जिला स्तरीय अधिकारियों के कर्तव्यः–

आपदा के सम्भावित दुष्परिणामों को कम करने के उद्देश्य से स्वयं सहाय कार्य संपादित कराने के लिए विभागीय कार्यालयों के साथ–साथ बेहतर प्रबन्धन हेतु जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबन्धन समिति गठित की गयी। जिसके अंर्तगत जिला स्तर के विभागीय प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारियो की अहम भूमिका है। संक्षेप मे पदाधिकारियो के कर्तव्यो को रेखांकित किया जा रहा।

जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर

जिले के सर्बोच्च प्रशासनिक और विधि व्यवस्था के पदाधिकारी होने के नाते जिलाधिकारी के अधीन जिले के सभी विभागों के पदाधिकारी उनके प्रत्यक्ष एवं साधारण नियंत्रण में कार्य करते है। फलतः कल्याण और सहायता की व्यवस्था सम्बन्धी सारे कार्य उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण मार्ग दर्शन और पर्यवेक्षण में संपादित किये जाते है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना के समस्त क्रिया–कलाप इन्ही के गहन निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में कार्यवन्वित होंगे।

अपर जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी, सिद्धार्थनगर

अपर जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी, राजस्व कार्यो के अतिरिक्त राहत एवं पुनर्वास कार्यो के जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी है। इसलिए जिला आपदा प्रबन्धन समिति के कार्यो में समन्वय सहयोग और अनुश्रवण करने के उद्देश्य से इन्हे नोडल पदाधिकारी (सचिव) बनाया गया है। इनके मुख्य कार्य एवं उतरदायित्व इस प्रकार है :–

- ❖ विभिन्न विभागो की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर कार्यो की समीक्षा एवं अनुश्रवण करना
- ❖ विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें मार्ग दर्शन देना
- ❖ प्रेस एवं मीडिया के साथ समन्वय स्थापित करना
- ❖ आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों को संपादित करना
- ❖ जिला पदाधिकारी और तहसील, ब्लाक पदाधिकारीयों के बीच संतुलन बनाये रखना
- ❖ संपादित किए जाने वाले राहत एवं बचाव कार्यो से संबन्धित प्रतिबेदनों का संग्रहण कर उच्च अधिकारियो तक प्रेषित करना
- ❖ राहत सामाग्रियो का क्रय संबन्धी कार्य करना।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर

पुलिस अधीक्षक पुलिस व्यवस्था के प्रत्यक्ष पदाधिकारी है। इस लिए जिलाधिकारी के नियन्त्रण में रहते हुए विधि व्यवस्था के लिए मुख्य जिम्मेदार होते है। आपदा की स्थिाति में विशेष कर बाढ़ के समय प्रायः आवागमन एवं अन्य संचार व्यवस्था अवरूद्व हो जाती है, जिसका लाभ आसामाजिक तत्व हर प्रकार से उठाना चाहते है। इस समय पुलिस विभाग का विधि व्यवस्था के जिम्मेवारी के साथ–साथ राहत एवं बचाव कार्य मे मदद करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। संक्षेप में उसके कार्यो को इस प्रकार रेखकिंत किया जा सकता है :–

- ❖ संचार माध्यमों को हर तरह से दुरूस्त करना
- ❖ गोताखोर के लिए प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की सूची जिला कक्ष नियंत्रण को भेजना
- ❖ सभी अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारियो एवं कर्मचारियो को आपदा प्रबन्धन से संबन्धित उत्तरदायित्वो को सझाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि विपरीत स्थिति उत्पन्न होने के समय उन्हे अपने कार्यो को सहज ढंग से संपाादित करने में कोई कठिनाई न हो
- ❖ बॉध, तटबन्ध राहत शिविर आदि स्थानो पर पुलिस बल की तैनाती करना एवं सघन व नियमित रूप से गश्ती कार्य जारी करना
- ❖ अफवाहो को फैलने से रोकना एवं उसमें संलिप्त लोगो की पहचान कर कार्यवायी करना
- ❖ आवश्यकता पड़ने पर सैन्य बल अर्द्धसैनिक बल की तैनाती में जिलाधिकारी को सहयोग करना।
- ❖ राहत शिविर चिकित्सा शिविर एवं सामाग्री वितरण में सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस बल प्रतिनियुक्ति करना।

उपजिलाधिकारी, नौगढ़

इस जिले मे पॉच तहसील है– नौगढ़, बॉसी, डुमरियागंज, इटवा व शोहरतगढ़, उपजिलाधिकारी तहसील स्तर के प्रशासनिक विधि– व्यवस्था, कल्याण और सहायता कार्यो के पदाधिकारी है। फलस्वरूप तहसील स्तर के सभी विभागीय पदाधिकारी इनके साधारण नियंत्रण में कार्य करते है। इस लिए आपदा के समय सहायता कार्य संपादन करने के लिए उन्हे मार्ग दर्शित एवं निर्देशित कर सकते है। उनके मुख्य कार्य संक्षिप्त में इस प्रकार है :–

- ❖ राहत एवं बचाव कार्य संपादित करना।
- ❖ जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सहायता कार्य मे संलग्न सभी विभागीय पदाधिकारी पंचायत राज्य संस्थाओ के प्रतिनिधियो एवं स्वयंसंवी सस्थाओ के बीच समन्वय स्थापित कर सहयोग लेना एवं कार्यो का पर्यवेक्षण करना
- ❖ आपदा के समय कोई अप्रिय घटना न घटे बॉधो एवं तटबन्धो को आसामाजिक तत्वो द्वारा क्षतिग्रस्त नही किया जाये क्षेत्र मे शांति बनी रहे आदि के लिए समुचित व्यवस्था करना और नियंत्रण बनाये रखना।
- ❖ राहत कार्य मे सहयोग देने के लिए बुलाए गये पदाधिकारीयो एवं पुलिस कर्मियो को आवास व्यवस्था करना।
- ❖ आवश्यक वस्तुओ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

समस्त ब्लाक अधिकारी (बी0डी0ओ0) सिद्धार्थनगर

आपदा पूर्व :–

- ❖ अप्रैल माह मे विकास खण्ड आपदा समिति की एक प्रारम्भिक बैठक आयोजित करना पंचायत एवं ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति की बैठक आयोजित करने हेतु निर्देश निर्गत करना।
- ❖ आसुरक्षित स्थानो एवं बाढ़ प्रभावित गॉवो का मानचित्रण करना।
- ❖ राहत सामाग्री भण्डरण स्थानो तथा खाद्य सामाग्री डीलरो एवं बाढ़ आपदा से प्रथम प्रभावित परिवारो की अद्यतन सूची तैयार करना।
- ❖ आगमी बाढ़ आपदा का सामना करने हेतु खण्ड स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था संबन्धी आदेश निर्गत करना।
- ❖ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो मे बैकल्पिक आवागमन साधनो एवं रास्तो की व्यवस्था करना तथा जनरेटर सुविधा करना।

आपदा के दौरान :–

- ❖ बचाव कार्य हेतु नाव एवं गड़ियो की व्यवस्था करना।
- ❖ पूर्व चेतावनी सूचनाओ का आदान प्रदान करना तथा जिला आपदा नियन्त्रण कक्ष से समन्वय स्थापित करना।

अन्य कार्य :–

- ❖ विकास खण्ड आपदा प्रबन्धन योजना बनाना।
- ❖ आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- ❖ नाव व अन्य सामाग्री की व्यवस्था करना।
- ❖ राहत सामाग्री का उचित प्रबन्धन एवं भण्डारण करना
- ❖ संवेदनशील एवं कमजोर बन्धो पर निगरानी रखना
- ❖ नदियो के जल स्तर का रिकार्ड करना तथा वर्षा मापक यंत्र की स्थापना करना
- ❖ खण्ड आपदा प्रबन्धन समिति की बैठक करना
- ❖ मॉकड्रील करना तथा ग्राम एवं पंचायत स्तर पर आकस्मिक सुरक्षा व्यवस्था करना
- ❖ जागरूकता अभियान चलाना
- ❖ बाढ़ के समय प्रयास हेतु ऊँचा स्थान तथा अन्य सामुदायिक भवन को चिन्हित करना
- ❖ खण्ड के विकास कार्यक्रमो को आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम में शामिल करना
- ❖ आपदा प्रबन्धन से संबन्धित विभागो के साथ बैठक करना
- ❖ राहत सामाग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था करना
- ❖ पुलिस, होमगार्ड, सिविल एवं डिफेन्स फोर्स से बचाव कार्य में मदद लेना,
- ❖ आवागमन हेतु बैकल्पिक रास्ते का चयन करना,
- ❖ बचाव हेतु लाइफ जैकेट , जेनरेटर, अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था करना,
- ❖ कार्यक्रम का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना,
- ❖ बच्चे, विधवा, गर्भवती महिलाओं की सूची बनाना,
- ❖ विकास खण्ड का जोखिम मानचित्र बनाना,
- ❖ राहत एवं बचाव कार्य हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करना,
- ❖ पूर्व चेतावनी का प्रचार–प्रसार करना,
- ❖ खण्ड आपदा प्रबन्धन समिति की कार्यशैली पर निगरानी रखना।

आपूर्ति अधिकारी, सिद्धार्थनगर

आपदा पूर्व–

- ❖ थोक विक्रेता एवं स्थानीय बाजार में उपलब्ध ट्रेडर्स की सूची तैयार रखना,
- ❖ भण्डारण की माहवार उपलब्धता एवं खपत की सूची बनाये रखना ?
- ❖ वहनों में नियमित तेल की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं समय–समय पर विक्रेताओं की भण्डारण की जाँच करते हुए जिलाधिकारी को जानकारी देना, असहयोगात्मक रवैया अपनाने पर विक्रेताओ के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करना,
- ❖ अस्थायी आवास अनाने हेतु सामाग्रियों के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सामंजस्य स्थापित करना,

आपदा दौरानः–

- ❖ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामाग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाये रखना,
- ❖ राज्य खाद्य निगम द्वारा संबन्धित ब्लाकों में जिला प्रशासन के आदेशानुसार खाद्यानों की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा अनुश्रवण करना,
- ❖ जिला आपूर्ति अधिकारी प्रत्येक खण्ड स्तर पर जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास खाद्यान्य का भण्डारण सुनिश्चित करेंगे,
- ❖ खाद्यान की उपलब्धता जन विरण प्रणाली में सुनिश्चित करना ताकि जरूरत के हिसाब से कार्यो में भी उपयोग किया जा सके।

आपदा पश्चात–

- ❖ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मे राहत सामाग्री वितरण का आकलन कर प्रतिवेदन तैयार कर आपदा प्रबन्धन विभाग को भेजना,
- ❖ आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के गोदामों में खाद्यान्न का भण्डारण यथेष्ट माात्रा में सुनिश्चित करना,
- ❖ जिला आपदा विभाग से सम्पर्क कर भण्डारण में सहयोग करना,
- ❖ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की आपूर्ति समय से सुनिश्चित करना,

आपदा पूर्व

- ❖ संवेदनशील तटबन्धों पर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती करना,
- ❖ वर्षा मापक यंत्र को दुरूस्त करना,
- ❖ जल स्तर में उतार–चढ़ाव की स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष को अवगत कराते रहना,
- ❖ कमजोर/असुरक्षित बांधो को मजबूत करना,
- ❖ जल स्तर मापक व्यवस्था को सुदृढ़ रखना,

आपदा दौरानः–

- ❖ जल स्तर एवं बंन्धों पर तैनात कर्मचारियो/अधिकारियों के बीच संचार व्यवस्था बनाये रखना,
- ❖ बचाव कार्य के उपयोग में आने वाली सामाग्रियों की व्यवस्था करना,

आपदा पश्चातः–

- ❖ बांधो एवं तटबन्धो की क्षति का आकलन कर जिलाधिकारी को प्रतिवेदन भेजना,
- ❖ क्षति ग्रस्त तटबन्धों की मरम्मत सुनिश्चित करना,

मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर

- ❖ वि ोष कर बाढ़ के समय मनुष्य एवं पशुजनित महामरियों के फैलने की संभावना रहती है। इस लिए जन स्वास्थ्य दवा का भण्डारण परम आवश्यक है।
- ❖ स्वास्थ्य संबन्धी व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यचिकित्साधिकारी की है।

आपदापूर्वः–

- ❖ सर्पदंश की दवा अन्य उपयोगी दवाये ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन/क्लोरीन टेबलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
- ❖ पेय जल हेतु उपयोग में आने वाले कुँओं को चिन्हित कर ब्लीचिंग पाउडर जून माह से ही प्रत्येक महीने डालना, जहां केवल चापाकल या अन्य पीने के पानी के श्रोत है। उसका जल भी बाढ़ की पानी से प्रभावित होता है। उस क्षेत्र के पानी की शुद्धीकरण क्लोरीन टिकिया से कराना सुनिश्चित करेंगे,
- ❖ स्वास्थ्य शिविर हेतु स्थान निर्धारण पूर्व में ही करेंगे,
- ❖ जीवन रक्षक, डायरिया नियंत्रण दवाई, अन्य जरूरी दवाओं का भण्डारण रखना,
- ❖ आपदाग्रस्त क्षेत्रों से स्वास्थ्य शिविरों को स्थान पूर्व से चयनित रखना,
- ❖ स्वास्थ्य संबन्धी जागरूकता अभियान चलाना,
- ❖ एम्बुलेन्स की व्यवस्था रखना,
- ❖ सभी चिकित्सक/कर्मचारी को आपदा से प्रभावित क्षेत्रों से ड्यूटी चार्ट बनाकर तैनात करना एवं होले वाली क्षति की जानकारी देना,

आपदा दौरानः–

- ❖ मुख्य चिकित्साधिकारी प्रचार–प्रसार के माध्यम से संभावित क्षेत्रों में जल जनित बीमारियों से निरोधात्मक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलायेंगे,
- ❖ खण्ड एवं जिला के स्वच्छता निरीक्षक पेयजल की गुणवत्ताा बनाये रखने के लिए पानी का सैम्पुलिंग करेंगे और उसकी जांच प्रयोगशाला या चिकित्सा महाविद्यालय में करायेंगे,
- ❖ सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाईजर दल के साथ मिलकर एक टीम बनाकर राहत कार्य करेगें,
- ❖ सदर अस्पताल तथा अन्य निजी अस्पतालों में चिकित्सकों का एक दल तैयार करना जो आपदाओं के समय वि ोष कार्य कर सकें,
- ❖ चलायमान चिक्त्सिा सुविधा की व्यवस्था करना,
- ❖ बाढ़ या अन्य आपदा के दौरान वि ोष प्रशिक्षित दल के साथ जिला नियन्त्रण कक्ष में उपस्थिति सुनिश्चित करना व स्वास्थ्य विभाग के किए गये कार्यों का प्रतिवेदन तैयार कर जिला प्रंशासन को उपलब्ध कराना।

आपदा पश्चातः–

- ❖ चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन जिला स्तर पर किया गया है जिसमें चिकित्साधिकारी, स्चच्छता निरीक्षक एवं परिचारिका एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी नामित कर प्रभावित जगहों के आधार पर जिलाधिकारी के सहमत पर भेजे जायेंगे,
- ❖ दवा एवं ब्लीचिंग पाउडर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र पर पहुचाने की व्यवस्था करेंगे।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर

आपदा पूर्वः–

- ❖ पशुओं में महामारी के रोक थाम के लिए आवश्यक दवाओं की व्यवस्था करना,
- ❖ पशुओं का टीकाकरण का कार्य बाढ़ के पूर्व सुनिश्चित करना,
- ❖ जनवरों की विभिन्न श्रेणियो की जनसंख्या खण्ड एवं पंचायत स्तर पर ज्ञात रखना,
- ❖ आकस्मिक दवाओं एवं उपयोगी यंत्रों की उपलब्धता रखना,
- ❖ पशु चिकित्सा शिविरों का स्थान पूर्व में चयनित करना,
- ❖ पशु चारा की उपलब्धता सुनिश्चित रखना,

आपदा दौरानः–

- ❖ पशु चिकित्सा शिविर आयोजित करना,
- ❖ पशु चिकित्सा राहत शिविरों का प्रतिवेदन तैयार कर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना।

अधीशासी, अभियन्ता, जलनिगम, सिद्धार्थनगर

आपदा पूर्वः–

- ❖ निजी चापाकल एवं पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ करना,
- ❖ बाढ प्रभावित क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी आदि से संपर्क बनाते हुए पेयजल हेतु चापाकल की व्यवस्था करना,
- ❖ जिला आपदा नियन्त्रण कक्ष के हमेशा संपर्क में रहना,
- ❖ हैंड पम्प को ऊँचा उठाना।

आपदा दौरानः–

- ❖ प्रभावित गांव में पीने की पानी की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना,
- ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा विद्यालयों की सूची तैयार करना, जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं,
- ❖ विद्यालयों के शिक्षकों का आवासीय पता तैयार रखना,
- ❖ सामान्य स्थिति होने पर विद्यालयों में पढ़ाई सुचारू रूप से सुनिश्चित करना,
- ❖ सहायता वितरण व क्षति आकलन कार्य में सहयोग करना।

अधीशासी, अभियन्ता, विद्युत सिद्धार्थनगर

- ❖ विद्युत प्रवाह सुचारू स्प से चलने हेतु आवश्यक यंत्रों की देखरेख सुनिश्चित करना,
- ❖ विद्युत के तारो की मरम्मत एवं खम्भो के झुकाव को ठीक करना,
- ❖ विद्युत आपूर्ति प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।

जिला कृषि अधिकारी, सिद्धार्थनगर

आपदा पूर्वः

- ❖ फसल बीमा हेतु लोगों को प्रेरित करना,
- ❖ सिंचाई सुविधा की सूची तैयार करना,
- ❖ फसल चक्र एवं मिट्टी जांच आदि की व्यवस्था करना,
- ❖ जल जमाव क्षेत्रों में होने वाली फसलों के बारे में लोगो को जानकारी देना।

आपदा पश्चातः

- ❖ आपदा से होने वाली फसल की क्षति का आकलन कर जिला प्रशासन को जानकारी उपलब्ध कराना,
- ❖ बीज खाद तथा कीटाणुनाशक दवाओं का भण्डारण 'वितरण तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ली जाने हेतु गाड़ियों की व्यवस्था करना,
- ❖ फसलों पर कीटाणुओं के आक्रमण की रोक थाम करना,
- ❖ जल जमाव की निकासी की व्यवस्था करना,
- ❖ बांध एवं कटाव वाले स्थानों पर वृक्ष लगाना,
- ❖ खेतों में बुवाई सुनिश्चित करना।

अधीशासी, अभियन्ता, लोकनिर्माण विभाग, सिद्धार्थनगर

- ❖ आवगमन को बरकरार रखना।
- ❖ लोकनिर्माण विभाग की जिम्मेदरी हैं कि सामान्य रूप से हर समय अवागमन को कायम रखे लेकिन आपदाग्रस्त क्षेत्र में (बाढ़ प्रभावित क्षेत्र) पूर्व से ही मुख्य सड़कों की मरम्मत करा लें, ताकि राहत सामाग्री पहुचाने तथा सामान्य जन को आने–जाने एवं विधि व्यवस्था एवं शांति कायम रखने व गस्ती कार्य में बांधा उपस्थित न हो। ब्लाक अधिकारी का यह दायित्व है कि वे बांढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर आले जाने के लिए मार्ग की पहचान कर लें।

आपदा पूर्वः

- ❖ बाढ़ से पूर्व क्षति ग्रस्त सड़कों की मरम्मत कार्य पूर्ण करलें,
- ❖ जिला नियन्त्रण कक्ष से संपर्क बनाये रखें।

आपदा दौरानः

- ❖ अधिकारियों/कर्मचारियों को संवेदनशील सड़कों पर तैनाती कर उनका ड्यूटी चार्ट बना लें,
- ❖ अवरूद्ध सड़कों का यातायात तत्परता से बहाल करें,
- ❖ राहत कार्यो हेतु सड़क मार्ग की व्यवस्था बनाने में संबंन्धित विभागों को मदद पहुचांएं।

आपदा पश्चातः

- ❖ बाढ़ से होने वाली क्षति का आंकलन एवं बाढ़ के दौरान किये गये कार्यों का प्रतिवेदन तैयार कर जिला प्रशासन को उलपब्ध कराये,
- ❖ क्षति ग्रस्त सड़कों को रेस्टोरेशन करना,

<u>दूर संचार विभाग सिद्धार्थनगर</u>

आपदा के समय शांति व्यवस्था कायम करने एवं सहायता कार्य करने में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव संसाधन के द्वारा संवाद, निर्देश व सूचनाओं का प्रेषण एवं प्रतिवेदन जैसे कार्य सड़क मार्ग अवरूद्ध हो जाने से प्रभावित होते हैं। इस समय टेली फोनिक संचार व्यवस्था ही सशक्त माध्यम होता है। इस लिए दूर संचार विभाग का मुख्य कर्तव्य हो जाता है कि बाढ़ के पूर्व ही क्षति ग्रस्त संचार व्यवस्था को दुरूस्त कर बाढ़ के समय उसे हर हालत में सुव्यवस्थित एवं कार्यरत बनाये रखें। विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करना (जेनरेटर की व्यवस्था करना) तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डब्ल्यू0एल0एल0 बूथ स्थापित

9.2 **जिला नियन्त्रण कक्ष तथा विकास खण्ड नियन्त्रण कक्ष के साथ सम्बन्धः–**

क्र0सं0	तैयारी	सामंजस्य
1.	आपदा	स्थिति की गम्भीरता को देख्ते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबन्धन समिति की बैठक आयोजित करना। जिला स्तरीय अधिकारी/मुख्यालय के कर्मचारियों के साथ बैठक करना। स्वयं सेवी संस्था तथा पंचायत प्रतिनिधि के साथ सामूहिक बैठक सम्पर्क विच्छेदित क्षेत्रों के लिए भोजन की व्यवस्था कर लेना। विभिन्न क्षेत्रों से सूचना एकत्र करना तथा उसी के अनुसार कार्य करना।
2.	आपदा दौरान	क्षेत्रिय कर्मचारियों के साथ हर 12 घण्टे तथा 24 घण्टे पर बैठक करना। सम्बन्धित अधिकारी से जोखिम वाले क्षेत्रों का सूचना एकत्रित करना। राहत तथा अन्य आधार भूत जरूरतो की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। कार्यदल को विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में तैनात करना।
3.	आपदा पश्चात्	पुर्नवासित को उनके घर लौटने में मद्द करना। विच्छेदित क्षेत्र में मुफ्त खाने का प्रबन्ध करना। राहत सामग्रियों वितरण पर नजर रखना। सडक को मरम्मत कर आवागमन फिर से बहाल करना। पीडितों की सहायता से तथा राहत सामग्री पहुचाने की व्यवस्था करना।

9.4 सामान्य समय में की जाने वाली गतिविधियाः–

1. जागरूकता अभियान चलाना।
2. मानव जीवन बीमा हेतु ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना।
3. कमजोर एवं असुरक्षित तटबन्धों को मजबूत करना।
4. जिला आपदा प्रबन्धन योजना में फरेबदल एवं बदलाव करना।
5. स्वयंसेवी संस्थाओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यो की जिम्मेदारी बांटना।
6. आपदा के सयम आने वाले कठिनाईयों पर उपाय पूर्व से ही हल करके रखना।
7. संचार एवं सम्पर्क व्यवस्था सुदृढ़ करना।
8. नियन्त्रण कक्ष हेतु उपयोग में आने वाली सामग्रियों की व्यवस्था करना।
9. मॉक–ड्रिल आयोजित करना।
10. विधि व्यवस्था संचालन में जिला प्रशासन को मदद करना।
11. जिले में सम्बन्धित विभिन्न आंकडो को अद्यतन करना।
12. जिलाआपदा प्रबन्धन योजना में वर्णित प्रत्येक विन्दु पर कार्य करना।
13. सभी सम्बन्धित लोगों को जिला अथवा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करना।